



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 25 अप्रैल 2026 ई० (वैशाख 5, 1948 शक संवत्) [संख्या 17

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	215—218	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	253—294	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	65—82	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	795-825	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति/विज्ञप्ति

16 मई, 2025 ई0

सं0 I/965060/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री रमाशंकर द्विवेदी, अपर आयुक्त ग्रेड-1, मुरादाबाद को सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण (ग्रेड वेतन रु0 10,000/-, पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, मेरठ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965061/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री मारुति शरण चौबे, अपर आयुक्त ग्रेड-1, आगरा को सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण (ग्रेड वेतन रु0 10,000/-, पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, गाजियाबाद के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965064/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री अशोक कुमार सिंह-IV, अपर आयुक्त ग्रेड-2, एस0आई0बी0, झाँसी को अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 8,900/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, मुरादाबाद के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965070/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री अयूब अली, अपर आयुक्त ग्रेड-2, अपील, आजमगढ़ को अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 8,900/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965074/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री पंकज गांधी, अपर आयुक्त ग्रेड-2, अपील-2, गोरखपुर को अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 8,900/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त ग्रेड-1, आगरा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965079/2025-11-1001(002)/8/2024—श्री सर्वेश आर्या, संयुक्त आयुक्त, एस0आई0बी0 वाराणसी-सी को उनके कनिष्ठ श्रीमती दीप्ति कटियार की अपर आयुक्त ग्रेड-2 (ग्रेड वेतन रु0 8,700/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर प्रोन्नति दिनांक 21.04.2025 से नोशनल एवं कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त ग्रेड-2, अपील-2, नोएडा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965081/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री गवेन्द्र प्रताप सिंह, संयुक्त आयुक्त, एस0आई0बी0, सहारनपुर-बी को अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 8,700/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त ग्रेड-2, अपील, मैनपुरी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965082/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री राजेश कुमार-IV, संयुक्त आयुक्त, टैक्स ऑडिट मुरादाबाद को अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 8,700/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त ग्रेड-2, अपील-5, नोएडा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965083/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री हरि लाल प्रजापति, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 8,700/-, पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त ग्रेड-2, अपील, आजमगढ़ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965084/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री सत्येन्द्र मोहन पाण्डेय, उपायुक्त (प्रशासन), प्रयागराज को संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 7,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त आयुक्त, एस0आई0बी0, सहारनपुर-बी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965086/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री विकास बहादुर चौधरी, उपायुक्त, खण्ड-5, मुजफ्फरनगर को संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 7,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त आयुक्त, उच्च न्यायालय कार्य-2, प्रयागराज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965087/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री सुरेन्द्र बहादुर, उपायुक्त, खण्ड-2, बलिया को संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 7,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक, वाराणसी-बी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965089/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती निरुपमा सक्सेना, उप निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ को संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 7,600/- पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त आयुक्त (कॉर्पोरेट सेल), सहारनपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965094/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री शिव कुमार, उपायुक्त, खण्ड-1, आगरा को संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 7,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए संयुक्त आयुक्त, टैक्स ऑडिट, वाराणसी-द्वितीय के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965096/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री रवीन्द्र कुमार-I, सहायक आयुक्त, एस0आई0बी0, रेंज-ए, कानपुर-प्रथम को उपायुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त, खण्ड-1, हरदोई के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965097/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री कृष्ण कुमार-II, सहायक आयुक्त, खण्ड-पलियाकला, खीरी को उपायुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त, खण्ड-1, मुजफ्फरनगर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965098/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री हरेन्द्र कुमार गोण्ड, सहायक आयुक्त, खण्ड-13, प्रयागराज को उपायुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त, खण्ड-28, कानपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965099/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री अनिल कुमार-X, सहायक आयुक्त, खण्ड-5, आगरा को उपायुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त, खण्ड-2, बलिया के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965102/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री अनिल कुमार-VII, सहायक आयुक्त, खण्ड-10, सहारनपुर को उपायुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त, खण्ड-5, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965104/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से सुश्री स्वास्तिक सिंह, राज्य कर अधिकारी, खण्ड-3, बरेली को सहायक आयुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 5,400/-, पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए सहायक आयुक्त, सचल दल इकाई-1, आगरा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965106/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से सुश्री अंकिता पाण्डेय, राज्य कर अधिकारी, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को सहायक आयुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 5,400/-, पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए सहायक आयुक्त, सचल दल इकाई-3, मेरठ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965108/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री पवन कुमार-I, सहायक आयुक्त, खण्ड-17, लखनऊ-द्वितीय को उपायुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त, खण्ड-5, मुजफ्फरनगर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965109/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री हरि शंकर प्रसाद, सहायक आयुक्त, खण्ड-1, संभल को उपायुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 6,600/-, पे मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उपायुक्त, खण्ड-1, महाराजगंज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965110/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री अरविन्द कुमार, राज्य कर अधिकारी, खण्ड-12, प्रयागराज को सहायक आयुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 54 00/-, पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए सहायक आयुक्त, खण्ड-1, लखीमपुर खीरी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965112/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री मुकेश कुमार रस्तोगी, राज्य कर अधिकारी, सचल दल इकाई-1, सहारनपुर को सहायक आयुक्त, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 5,400/-, पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए सहायक आयुक्त, खण्ड-8, गोरखपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965114/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री राकेश वर्मा, अपर आयुक्त ग्रेड-2, अपील, मैनपुरी को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए अपर आयुक्त ग्रेड-2, अपील-4, नोएडा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/965115/2025-11-1001(002)/8/2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री धर्मेन्द्र सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-2, अपील-1, गोरखपुर को उनके वर्तमान पद के साथ अपर आयुक्त ग्रेड-2, अपील-2, गोरखपुर के पद का अतिरिक्त प्रभार एतद्वारा प्रदान किया जाता है।

2— उक्त अतिरिक्त प्रभार हेतु श्री धर्मेन्द्र सिंह को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

आज्ञा से,
श्याम प्रकाश नारायण,
विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, १८ अप्रैल, २०२६ ई० (चैत्र २८, १९४८ शक संवत्)

भाग १-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

AMENDMENT (Admin. 'G-I') SECTION

NOTIFICATION

07 March, 2026

No. 139/Admin. G-I/ Allahabad—The Governor is hereby pleased to approve and publish the following rules made by the High Court of Judicature at Allahabad under Article 225 and 227 of the Constitution of India to regulate the use of electronic communication and *audio-video* electronic means in the District Courts of the State of Uttar Pradesh, for the information of the public concerned.

The District Courts of the State of Uttar Pradesh for the Use of Electronic Communication and *Audio-Video* Electronic Means Rules, 2026

Object and Reasons—

Whereas, in order to avoid delay in judicial proceeding due to non-availability of parties, advocates, witnesses and accused physically, it is expedient to formalise and enable use of electronic communication and other *audio-video* electronic means for the purpose of conducting trial, inquiry and proceeding under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023).

Whereas, the BNSS under section 54, 63, 64, 70, 71, 94, 154, 183, 187, 193, 209, 227, 230, 231, 251, 254, 262, 265, 266, 308, 310, 316, 336, 355, 356, 392, and 530 recognises use of *audio-video* electronic means and other forms of electronic communication for different proceedings.

Whereas, Section 530 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS)

provides that all trials, inquiries and proceedings under this Sanhita, including examination of complainant and witnesses, recording of evidence in inquiries and trials and all appellate proceedings or any other proceeding, may be held in electronic mode, by use of electronic communication or use of *audio-video* electronic means.

Whereas there is no restriction on civil courts in using video conferencing facilities in conducting trial.

Whereas, the District Judiciary in the State of Uttar Pradesh has been using video conferencing facilities for conducting inquiries and trials in civil as well as criminal proceedings.

In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India, and all other enabling sections of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023), *audio-video* electronic communication for District Courts, namely:-

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title, Application and Commencement.-

- (1) These Rules shall be called "*The District Courts of the State of Uttar Pradesh for the Use of Electronic Communication and Audio-Video Electronic Means Rules, 2026*".
- (2) They shall apply to the district courts of the State of Uttar Pradesh and to all judicial, departmental and mediation proceedings in pending cases.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions-

- (1) In these Rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "**Advocate**" means and include an advocate entered in any roll maintained under the provisions of the Advocates Act, 1961 and shall for the purpose of these rules, include prosecuting officers and government pleaders;
 - (b) "**Advocate's remote point**" means a place from where an advocate or advocates may appear through a live link and shall include advocate's chamber or office or a place notified by the Bar for video conferencing;
 - (c) "**Commissioner**"
 - (i) **In Criminal Proceedings** – means a person appointed as Commissioner under the provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023) or any other law for the time being in force;
 - (ii) **In Civil Proceedings** – means a person appointed as Commissioner under the provisions of the Code of Civil Procedure (Act 5 of 1908) or any other law for the time being in force.
 - (d) "**Coordinator**" means a person nominated as coordinator under Rule 5;
 - (e) "**Court**" includes a physical court and a virtual court or a tribunal.
 - (f) "**Court point**" means the courtroom or the place where the court is physically convened, or the place where a commissioner or an inquiry officer holds proceedings pursuant to the directions of the court;
 - (g) "**Court room**" means the place or room or enclosed space in which court proceedings are held;
 - (h) "**Designated Place**" means any one or more places specified where the facilities are made available for use of electronic communication or use of *audio-video* electronic means with courts points and shall include *eSewa Kendra*, Vulnerable Witness Deposition Centre *etc.* from where evidence of such witnesses may be recorded;

- (i) **"Designated Video Conferencing Software"** means a software approved by the High Court for the use of video conferencing or other *audio-video* electronic communication;
- (j) **"High Court"** means the High Court of Judicature at Allahabad;
- (k) **"Live link"** means and includes a live link for *audio-video* electronic communication or other arrangements whereby a witness, an accused, party, advocate or any other person is required by Court to remain present virtually in the court room by use of electronic communication or use of *audio-video* electronic means;
- (l) **"Remote Point"** means a place where any person is required to be present or appear through a live link and includes designated place from where submissions may be made before the Court but does not include Advocate's remote point;
- (m) **"Remote User"** means a user participating in court proceedings through video conferencing at a designated place or advocates remote point;
- (n) **"Required Person"** includes:
 - (i) a person who is to be examined as a witness, complainant or otherwise; or
 - (ii) person in whose presence certain proceedings are to be recorded or conducted including an accused; or
 - (iii) an advocate or a party in person; or
 - (iv) any person including victim who is required to make submissions before the Court; or
 - (v) any other person who is permitted by the Court to appear through video conferencing or other modes of audio visual electronic communication;
- (o) **"Rules"** shall mean these rules and any reference to a rule or sub-rule shall be a reference to a rule or sub-rule of these rules;
- (2) The words and phrases used but not defined herein shall bear the same meaning as assigned to them in the Allahabad High Court Rules, 1952; Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS); Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA); Information Technology Act, 2000 (IT Act) and the General Clauses Act, 1897.

3. Construction of references.-

- (1) Unless the context otherwise requires, any reference to Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 in these Rules shall include reference to Code of Criminal Procedure, 1973 under the corresponding provisions.

Chapter II

General Principles-1

4. Implementation of Video Conferencing under BNSS Provisions:

4.1. Electronic Hearings (BNSS Sec 530)

All trials, inquiries, and proceedings may be conducted electronically, including:

Examination of complainants and witnesses

Recording of evidence

Appellate and other judicial proceedings

4.2. Appearance via Video Conferencing (BNSS Sec 154, 355)

Persons required to appear before the court may do so *via* video conferencing, including cases where the accused is absent.

4.3. Accused in Judicial Custody (BNSS Sec 187)

Accused persons may be presented before the court *via* video conferencing, except for the first appearance, which requires physical presence.

4.4. Framing of Charges (BNSS Sec 251)

Charges may be read and explained to the accused through video conferencing, with their plea recorded electronically.

4.5. Evidence of Witnesses (BNSS Sec 254, 265, 266, 310, 356)

Witness testimonies and depositions may be recorded *via audio-video* means in designated locations.

4.6. Deposition of evidence of any police officer or public servants (BNSS Sec 254)

Testimonies of public servants may be recorded electronically to expedite legal proceedings.

4.7. Discharge of Accused (BNSS Sec 262)

Courts may examine the accused *via* electronic means before granting discharge.

4.8. Examination of Accused in Custody (BNSS Sec 316)

Accused persons in custody may be examined electronically, with signature verification required within 72 hours.

4.9. Evidence from Public Servants, Experts and police officers (BNSS Sec 336)

Public officials, forensic experts, and police officers may provide evidence *via* video conferencing.

4.10. Judgment Pronouncement (BNSS Sec 392)

Accused persons in custody may hear their judgment *via* video conferencing.

4.11. Presence of Accused during Evidence Recording (BNSS Sec 308)

Accused persons must be present, either physically or *via* video conferencing, during the recording of evidence.

Chapter III

General Principles -2

5. General Principles Governing Video Conferencing and other modes of *Audio-video* electronic communication

Subject to the provisions hereinafter contained, video conferencing and other modes of audio-visual electronic communication may be used at all stages of judicial proceedings and proceedings conducted by the Court, where a person is required to be present or appear is not physically present in court room:

- (i) All proceedings conducted by a Court *via* video conferencing and other modes of audio visual electronic communication shall be judicial proceedings and all parties, decorum and protocols applicable to these proceedings;
- (ii) All relevant statutory provisions applicable to judicial proceedings including provisions of BNSS, Contempt of Courts Act, 1971, BSA and IT Act, shall apply to proceedings conducted by video conferencing;
- (iii) Subject to maintaining independence, impartiality and credibility of judicial proceedings, and subject to such directions as the High Court may issue, Courts may adopt such technological advances as may become available from time to time;
- (iv) Courts shall use only High Court/government approved and secure video conferencing platforms equipped with end-to-end encryption to protect data and privacy;
- (v) Any unauthorized access, hacking attempts, or security breaches must be reported immediately and addressed in accordance with the law;
- (vi) The Rules as applicable to a Court shall *mutatis mutandis* apply to a Commissioner

appointed by the Court to record evidence and to an inquiry officer conducting an inquiry;

(vii) Unless expressly permitted by Court, no person, either at Court Point or at designated place or at Remote Point or Advocate's Remote Point, shall record or publish the proceedings conducted by video conferencing or other modes of audio-visual electronic communication;

(viii) There shall be no unauthorised recording of the proceedings by any person or entity;

6. **Identification of person appearing through video conferencing or other modes of audio-visual electronic communication.-**

The person defined in rule 2(1) (n) shall provide an identity proof as recognized by the Government of India or State Government to the court point coordinator by electronic communication. In case, identity proof is not readily available, the Court may, upon satisfaction allow such person to participate in proceedings without production of identity proof.

7. **Facilities recommended for Video Conferencing.-**

(i) Each courtroom should be equipped with a video conferencing facility to enable seamless connectivity with stakeholders. This integration will eliminate the need to move to a separate dedicated room for virtual hearings, ensuring efficiency, saving time, and enhancing judicial proceedings.

(ii) A dedicated and exclusive video conferencing center should be established promptly at each district and *Tehsil* level.

(iii) A dedicated space for video conferencing within police stations, prisons, prosecution offices, forensic departments, and other designated places.

The following equipments are recommended for conducting proceedings by video conferencing at the Court Point and the Remote Point:

Computer	Desktop and Laptop
Network and Internet Connectivity	High-Speed Internet Connection (Minimum 50 Mbps) - Ensures seamless video transmission without lag; Backup Internet Connection – A secondary connection to prevent disruptions; Dedicated LAN/Wi-Fi Setup - Ensures stable and secure connectivity;
Video Equipment	High-Resolution Cameras (Full HD/4K) – To capture clear video feeds of participants; Adjustable and Multiple Camera Angles - Enables focusing on the judge, lawyers, accused, or witnesses;
Audio Equipment	Noise-Canceling Microphones – Reduces background noise and ensures clear audio transmission; High-Quality Speakers - Provides clear sound output for participants; Echo-Cancellation and Acoustic Treatment-Enhances audio clarity by minimizing reverberation;
Display and Projection Equipment	Large Display Screens (LED/Projectors) - For clear visibility of remote participants; Multiple Screen Setup (Optional) - Allows simultaneous

	viewing of different participants;
Software and Encryption Standards	End-to-End Encrypted Video Conferencing Software - Ensures secure communication; Firewall and VPN Protection - Prevents unauthorized access; Multi-Factor Authentication (MFA) for Users - Ensures identity verification; Secure Login Credentials for Each Session - Limits access to authorized personnel;
Recording and Documentation	Court-Approved Recording Mechanism - Allows secure documentation of hearings; Transcription Services - Automated/manual transcription of court proceedings; Cloud or Local Storage Options-Secure storage for recorded sessions;
IT Support and Maintenance	On-Site Technical Team - Ensures quick resolution of technical issues; 24/7 Remote IT Support – Provides assistance for troubleshooting; Regular Equipment Maintenance - Ensures uninterrupted functionality;
Power Backup	Uninterruptible Power Supply (UPS) System – Prevents power outages from disrupting proceedings; Backup Generators - For prolonged power failures, etc.

8. The designated video conferencing software to be procured by High Court shall facilitate following minimum requirements:-

- (i) an online, real-time collaboration software with features like video, voice, screen sharing, document sharing, presentation, recording etc.
- (ii) the solution should have a whiteboard for flashing messages and recording meetings or sessions.
- (iii) the complete access log of the different users with extended reports, including IP/ Device details/Application details, should be provided with each meeting room.
- (iv) the platform should be hosted *at distinct seismic zones* on an India-based data centre with a 100% Disaster recovery site.
- (v) the platform must offer cross-platform functionality, ensuring seamless operation across various operating systems, including Windows, Linux, macOS, IOS etc., to accommodate diverse technology ecosystems of all participants and guarantee a consistent user experience regardless of the operating system used.
- (vi) the platform must be scalable to multi point connectivity with *at least* 500 user logins at a time,

- (vii) the platform must provide private and confidential Breakout rooms; between multiple users,
- (viii) the platform must be capable of synchronizing and scheduling with cause list of cases by advocates with waiting lobby and automatic pulling according to the cause list;
- (ix) the platform must provide master control facility at Court's end, recording and archiving facility at court point, server or cloud
- (x) the platform must provide audit trail facility of the proceedings and also provision of a firewall.

9. Appointment of Coordinators.-

- (1) There shall be a Coordinator both at the Court Point and at the designated place from where any required person is to be examined or heard or is directed to remain present. However, coordinator may be required at the remote point only when a witness or a person accused of an offence is to be examined;
- (2) In all the Courts, one or more persons nominated by the High Court or the District and Sessions Judge concerned within whose jurisdiction the respective Court is present, shall perform the functions of the coordinators at the designated place.
- (3) The Court may appoint any court official as a coordinator at the Court Point.
- (4) The coordinator at the designated place may be any of the following:

Sub Rule	Where the Advocate or Required Person is at the following Point:-	The Remote Point Coordinator shall be:-
9.(4).1	Overseas	An official of an Indian Consulate/the relevant Indian Embassy / the relevant High Commission of India;
9.(4).2	Court of another state or union territory of India	Any authorized official nominated by the concerned District Judge;
9.(4).3	Mediation Centre or office of District Legal Services Authority	Any authorized person official nominated by the Chairperson or Secretary of the concerned District Legal Services Authority;
9.(4).4	Jail or prison	The concerned Jail Superintendent or Officer-in-charge of the prison;
9.(4).5	Hospitals administered by the Central Government, the State Government or local bodies	Medical Superintendent or an official authorized by them or the person in charge of the said hospital;
9.(4).6	Observation Home, Special Home, Children's Home, Shelter Home, or any institution referred to as a Child Care	The Superintendent or Officer-in-charge of that Child Care Institution or an official authorized by them;

- Institution and where the Required Person is a juvenile or a child or a person who is an inmate of such Child Care Institution.
- 9.(4).7 Women's Rescue Homes, Protection Homes, Shelter Homes, *Nari Niketans* or any institution referred to as a women's facility (collectively referred to as women's facilities). The Superintendent or Officer-in-charge of the women's facility or an official authorized by them;
- 9.(4).8 In custody, care or employment of any other government office, organization or institution (collectively referred to as institutional facilities). The Superintendent or Officer-in-charge of the institutional facility or an official authorized by them;
- 9.(4).9 Forensic Science Lab The Administrative Officer-in-charge or their nominee;
- 9.(4).10 In case of any other location The concerned Court may nominate any public servant of public official of the concerned department to render services as a Coordinator to ensure that the proceedings are conducted in a fair, impartial and independent manner and according to the directions issued by the Court in that behalf.

(5) Notwithstanding the provisions of Clause 3.4.1, where witness examination is to take place in a criminal case of a person located outside the country, the provisions of the BNSS 2023 (Section 110 & Chapter 8) and "Comprehensive Guidelines for investigation abroad and issue of Letters Rogatory (LRs)/Mutual Legal Assistance (MLA) Request and Service of Summons/ Notices/ Judicial documents in respect of Criminal Matters prevailing at that time" will be followed to the extent they comport with the provisions of the BNSS and BSA.

10. Preparatory arrangements

- (1) The coordinator at the designated place/remote point shall ensure that;
- the required persons scheduled to appear in a particular proceeding are ready at the remote point/designated place for video conferencing well before the scheduled time;
 - no unauthorized recording device is used;
 - no unauthorized person enters the remote point or designated place when the video conference is in progress;
 - the person being examined is not prompted, tutored, coaxed, induced or coerced in any manner by any person and that the person being examined does not refer to any document, script or device without the permission of the Court concerned during the course of examination.

- (2) Where the witness to be examined through video conferencing or other audio-visual electronic communication requires or if it is otherwise expedient to do so, the Court shall give sufficient notice in advance, setting out the schedule of video conferencing and in appropriate cases may provide the copies of all or any part of the relevant documents in electronic form to the coordinator of the concerned remote point.
- (3) Before the scheduled video conferencing, the Court shall ensure that the coordinator at the designated place or remote point receives in electronic form, copies of all or any part of the documents which may be required for recording of evidence, or for reference of the witness. However, coordinator shall allow such documents in electronic form to be used by the required person only with the permission of the Court.
- (4) Whenever required, the Court shall order the coordinator at the remote point or at the court point to provide-
 - (a) a translator in case the person to be examined is not conversant with the official language of the court;
 - (b) an expert in sign languages in case the person to be examined is impaired in speech and/or hearing;
 - (c) an interpreter or a special educator, as the case may be, in case a person to be examined is differently abled, either temporarily or permanently;
 - (d) a person for reading of documents in case the person to be examined is visually challenged.

CHAPTER IV

PROCEDURE FOR VIDEO CONFERENCING

11. **Appearance through video conferencing and other modes of audio-visual electronic communication.-**

- (1) In criminal cases, any party to the proceedings or witness, save and except where proceedings are initiated at the instance of the Court or on request of public prosecutor, may move a request for presence and proceedings through video conferencing. (SCHEDULE - II)
- (2) In civil cases, the court may, as its discretion or on request of any of the parties, initiate process for hearing of any case through video conferencing and other modes of audio-visual electronic communication.
- (3) While allowing a request for video conferencing the Court may also fix the schedule for convening the video conferencing.
- (4) An advocate may appear from advocate's remote point for making submissions or for examination of witnesses.
- (5) Where video conferencing proceedings are conducted for making oral submissions, the order may require the advocate or party in person to submit written arguments and precedents, if any, in advance.

12. Service of processes.-

Processes issued to a witness who is to be examined through video conferencing, shall mention the date, time and venue of the concerned designated place and shall direct the witness to attend in person alongwith proof of identity. If a person is examined with reference to a particular document then the process to witness must be accompanied by a copy of the document:

Provided that nothing in this rule shall preclude a court from conducting trials, inquires and proceedings in electronic mode, by use of electronic communication or use of *audio-video* electronic means.

13. Examination of persons and witnesses through video conferencing and other modes of audio-visual electronic communication-

- (1) The person being examined through video conferencing and other modes of audio-visual electronic communication shall ordinarily be examined during the working hours of the court concerned or at such time as the court may deem fit.
- (2) Where the person being examined is an accused, the court shall provide adequate opportunity to consult with his advocate before and after the video conferencing.
- (3) The Court shall read over and explain the evidence recorded to the witness and obtain the signature of the person being examined on the transcript immediately after the examination is concluded. The signed transcript shall form part of the record of the judicial proceedings. The signature on the transcript of the person being examined shall be obtained in either of the following ways.-
 - (a) If digital signatures are available at both the concerned Court Point and remote point, the copy of the transcript digitally signed by the presiding officer at the Court Point shall be sent by the designated video conferencing software or official e-mail to the coordinator at remote point where a print out of the same shall be taken and signed by the person being examined. A scanned copy of the transcript digitally signed by the coordinator at the remote point shall be transmitted by the designated video conferencing software or official e-mail of the Court Point;
 - (b) If digital signatures are not available, the printout of the transcript shall be signed by the presiding Judge, at the Court Point and shall be sent in non-editable scanned format by the designated video conferencing software or official e-mail account of the designated place or e-mail of the coordinator at remote point where a printout of the same shall be taken and signed by the person examined and countersigned by the coordinator at the remote point. A non-editable scanned format of the transcript so signed shall be sent by the coordinator at the remote point by the designated video conferencing software or official e-mail to the Court Point where a print out of the same shall be taken and shall be made a part of the judicial record.
- (4) The court may, at the request of a person to be examined, or on its own motion, taking into account the best interest of the person to be examined, direct appropriate measures to protect the privacy of the person examined bearing in mind aspects such as age, gender, physical condition and recognized customs and practices.
- (5) The coordinator at the designated place shall ensure that no person is present at the

remote point, save and except the person being examined and those whose presence is deemed administratively necessary by the coordinator for the proceedings.

- (6) The court may also impose such other conditions as are necessary in for effective hearing of cases through video conferencing and other modes of audio-video electronic communication.
- (7) If the court thinks fit, the required person may be permitted to connect through video conferencing or other modes of audio-visual electronic communication from the place of his residence or work:

Provided that evidence of a witness shall be recorded only from the designated place, except in situation hereinafter provided.

- (8) Where a required person is not capable of reaching the Court Point or the designated place due to sickness or physical infirmity, or whose presence cannot be secured without undue delay or expense, the Court may authorize conduct of video conferencing from the place at which such person is located. In such circumstances the court may direct the use of portable video conferencing systems and ensure presence as it may deem fit.
- (9) Where the court is of opinion, for the reasons recorded in writing that, evidence of the witness cannot be effectively recorded, may decline to examine such witness through video conferencing.
- (10) An audio-visual recording of the examination of any witness shall be encrypted and preserved with its hash value. It shall be retained as part of the record for such period and in such manner as may be prescribed by the High Court.

14. Exhibiting or showing documents to witness or accused at a remote point-

If in the course of examination of a person at a remote point by video conferencing, it is necessary to show a document to the person, the Court may permit the document to be shown in the following manner :

- (a) if the document is at Court Point, by transmitting the document through document visualizer;
- (b) if the document is at Court Point, but document visualizer is not available, by transmitting a copy or image of the document to the remote point electronically through the designated video conferencing software or official e-mail;
- (c) if the document is at the remote point, by transmitting a copy or image of the document to the Court Point electronically through the designated video conferencing software or official e-mail. The hard copy of the document counter signed by the witness and the coordinator at the designated place shall also be dispatched to the Court Point.

15. Ensuring seamless video conferencing.-

- (1) The coordinator at Court Point shall provide the live link of the video conferencing hearing with advocates or the required person.
- (2) If the proceedings are carried out from any place other than a remote point, the coordinator, if any, at such remote point shall ensure compliance of all technical requirements.
- (3) The coordinator at the Court Point shall be in contact with the concerned advocate or

the required person and guide them in regard to the fulfillment of technical and other requirements for executing a successful hearing through video conferencing. Any problem faced by such advocate or the required person shall be resolved by the coordinator at Court Point.

- (4) The coordinator at the Court Point shall ensure that any document or audio-visual files, emailed by the advocate or the required person, are duly received at the Court Point.

16. Remand.-

The court may authorize detention in judicial custody, of any person accused of an offence, by video conferencing or other modes of audio-visual electronic communication as per the provisions of section 187 BNSS:

Provided that if the accused is already in judicial custody, whether of same Court or some other Court or is undergoing sentence, the Court may further remand him during inquiry or trial under section 346 (2) of the BNSS through video conferencing or other modes of audio-visual electronic communication.

17. Plea bargaining-

The Court may also use the modes of audio-visual electronic communication for the purpose of plea bargaining under Chapter XXIII of the BNSS.

18. Record of proceedings through audio-visual electronic communication.-

Wherever any proceeding is carried out by the Court under these rules by taking recourse to the modes of audio visual electronic communication, the Court shall mention in the order sheet, that the hearing is conducted through video conferencing.

Chapter V GENERAL PROCEDURE

19. General Procedure.-

- (1) The procedure set out hereinafter in this chapter is without prejudice to the procedure indicated elsewhere in these rules where proceedings are conducted through video conferencing or other modes of audio visual electronic communication.
- (2) The coordinator at the Court Point shall ensure that video conferencing is conducted only through a designated video conferencing software:

Provided that in the event of a technical fault or for any other sufficient cause, the Court may for reasons to be recorded in writing, permit the use of a software other than the designated video conferencing software for video conferencing in that particular proceeding:

Provided further that nothing contained in these rules shall prevent a Court, after recording its reasons in writing, from using any software other than the designated video conferencing software or other modes of audio visual electronic communication, to facilitate the hearing of cases in electronic mode.

- (3) In criminal cases, where the person to be examined is a prosecution witness, or a court witness, or a defence witness, or a person is to make submission for prosecution, or a person is to make submission for defence, the advocate for the prosecution or defence or the accused, as the case may be, shall confirm to the Court the location of the person, and the time, place and technical facilities available for such video conferencing.
- (4) If the accused is in custody and not present at the Court Point, the Court shall order a

multi-point video conference between Court Point, the witness and the accused in custody to facilitate recording of the statement of the witness including medical or other experts.

20. Conduct of Proceedings.-

- (1) All advocates, required persons, the party in person or any other person permitted by the Court to remain physically or virtually present (hereinafter collectively referred to as participants), shall have their presence recorded. However, in case participants are desirous that their face or name be masked, information to that effect shall be furnished to the Court Point coordinator prior to the commencement of proceedings for the approval of the court.
- (2) All Advocates, Required Persons, the party in person and/or any other person permitted by the Court to remain physically or virtually present (hereinafter collectively referred to as participants) shall abide by the requirements set out in Schedule I.
- (3) The Court Point coordinator shall send the live link on mobile number furnished by the participants permitted to be virtually present in the Court. Once the proceedings have commenced, no other person shall be permitted to participate in the virtual hearing, except with the permission of Court.
- (4) Participation in the proceedings through video conferencing shall constitute consent by the participants to the proceedings being recorded.
- (5) Establishment and disconnection of links between the Court Point and the remote point shall be regulated by orders of the Court.
- (6) The court shall satisfy itself that the advocate, required person or any other participant that the court deems necessary at the remote point or the Court Point can be seen and heard clearly and can clearly see and hear the court.
- (7) To ensure that video conferencing is conducted seamlessly, the difficulties, if any, experienced in connectivity must be brought to the notice of the Court at the earliest on the mobile number of the Court Point coordinator which has been furnished to the participant before the commencement of the video conferencing. No complaint shall be entertained subsequently.

21. Third parties to the case.

- (1) Third parties may be allowed to remain present during video conferencing only upon a specific order of the Court. However, they shall be passive participants and shall not be allowed to make any submission without permission of the Court.
- (2) Where, for any reason, a person unconnected with the case is present at the remote point, that person shall be identified by the coordinator at the remote point at the beginning of the proceedings and the purpose of the presence of that person shall be conveyed to the Court. Such person shall continue to remain present only with the permission of the Court.

22. Costs of Video Conferencing

In absence of the prescribed rules, the Court may take into consideration the following circumstances when determining and/or apportioning the costs of video conferencing:

- a. In criminal cases, the expenses of the video conferencing facility including expenses involved in preparing soft copies/certified copies of the Court record and transmitting the same to the Coordinator at the Remote Point, and the fee payable to the

translator/interpreter/special educator, as the case may be, as also the fee payable to the Coordinator at the Remote Point, shall be borne by such party as directed by the Court.

- b. Besides the above, the Court may also make an order as to expenses as it considers appropriate, taking into account the rules/instructions regarding payment of expenses to the complainant and witnesses, as may be prevalent from time to time.
- c. It shall be open to the Court to waive the costs as warranted in a given situation.

23. Access to Legal Aid Clinics/Camps/Lok Adalats/Jail Adalats

- a. In conformity with the provisions of the Legal Services Authorities Act, 1987 and the laws in force, in proceedings related to Legal Aid Clinics, Camps, Lok Adalats or Jail Adalats, any person who at the Remote Point is in Jail or Prison shall be examined by the Chairman / Secretary of the District Legal Service Authority or Members of Lok Adalats before passing any award or orders as per law.
- b. Such award or order shall have the same force as if it was passed by the regular Lok Adalat or Jail Adalat.
- c. Copy of the award or order and the record of proceedings shall be sent to the Remote Point.

24. Allowing persons who are not parties to the case to view the proceedings

To observe the requirement of an open Court proceeding, members of the public will be allowed to view Court hearings conducted through video conferencing, except proceedings ordered for reasons recorded in writing to be conducted in-camera. The Court shall endeavour to make available sufficient links (consistent with available bandwidth) for accessing the proceedings.

**Chapter VI
Miscellaneous**

Reference to Words and Expressions

25.

Words and expressions used and not defined in these Rules shall have the same meaning as assigned to them in the BNSS, the BSA, the IT Act, and the General Clauses Act, 1897.

26.

Power to Relax

The High Court may if satisfied that the operation of any Rule is causing undue hardship, by order dispense with or relax the requirements of that Rule to such extent and subject to such conditions, as may be stipulated to deal with the case in a just and equitable manner.

27.

Residual Provisions

Matters concerning which no express provision has been made in these Rules shall be decided by the Court consistent with the principle of furthering the interests of justice.

28.

Repeal and Savings

- (1) *The Rules for Video Conferencing for Courts in the State of Uttar Pradesh, 2020*, is hereby repealed for District Courts of Uttar Pradesh.
- (2) Notwithstanding the repeal, provisions of *the Rules for Video Conferencing for Courts in the State of Uttar Pradesh, 2020*, shall apply to:-
 - a) Actions and proceedings commenced before these rules came into force.

- b) All notifications/orders published/issued under the Rules for Video Conferencing for Courts in the State of Uttar Pradesh, 2020, to the extent they are not repugnant to these rules, shall be deemed to have been made or issued under these rules.

SCHEDULE I

1. All participants shall wear sober attire consistent with the dignity of the proceedings. Advocates shall be appropriately dressed in professional attire prescribed under the Advocates Act, 1961. Police officials shall appear in the uniform prescribed for police officials under the relevant statute or orders. The attire for judicial officers and court staff will be as specified in the relevant rules prescribed in that behalf by the High Court. The decision of the Presiding Judge or officer as to the dress code will be final.
2. Proceedings shall be conducted at the appointed date and time. Punctuality shall be scrupulously observed.
3. The case will be called out and appearances shall be recorded on the direction of the Court.
4. Every participant shall adhere to the courtesies and protocol that are followed in a physical Court. Judges will be addressed as "Madam/Sir" or "Your Honour". Officers will be addressed by their designation such as "Bench Officer/Court Master". Advocates will be addressed as "Learned Counsel/Senior Counsel".
5. Advocates, Required Persons, parties in person and other participants shall keep their microphones muted till they are called upon to make submissions.
6. Remote Users shall ensure that their devices are free from malware.
7. Remote Users and the Coordinator at the Remote Point shall ensure that the Remote Point is situated in a quiet location, is properly secured and has sufficient internet coverage. Any unwarranted disturbance caused during video conferencing may if the Presiding Judge so directs render the proceedings non-est.
8. All participants' cell phones shall remain switched off or in airplane mode during the proceedings.
9. All participants should endeavor to look into the camera, remain attentive and not engage in any other activity during the proceedings.
10. Background noise, unnecessary movements, and interruptions must be minimized to maintain the decorum of judicial proceedings.
11. The use of offensive language, disrespectful behavior, or non-compliance with judicial instructions may lead to immediate removal from the session and potential legal consequences.
12. Only court have the discretion to mute or remove any participant violating these conduct rules.

SCHEDULE II**Request Form for Video Conference**

1. Case Number/CNR Number (if any): _____
2. Cause Title: _____
3. Proposed Date of conference (DD/MM/YYYY): _____
4. Location of the Court Point(s): _____
5. Location of the Remote Point(s): _____
6. Names & Designation of the Participants at the Remote Point: _____
7. Reasons for Video Conferencing: _____

*In the matter of:*8. Nature of Proceedings: Final Hearing ☐Motion Hearing ☐Others ☐

I have read and understood the provisions of Rules for Video Conferencing for Courts (hyperlink). I undertake to remain bound by the same to the extent applicable to me. I agree to pay video conferencing charges if so, directed by the Court.

Signature of the applicant/authorised signatory:

Date:

A) Bench assigned:**B) Hearing:**

Held on (DD/MM/YYYY):

Commencement Time:

End time:

Number of hours:

C) Costs:

Overseas transmission charges if any:

To be Incurred by Applicant/Respondent:

To be shared equally:

Waived; as ordered by the Court:

Signature of the authorised officer:

Date:

For use of the Registry/Court Point Coordinator

BY ORDER

Sd/-

(.....)

REGISTRAR GENERAL

By Order of the Hon'ble Court,
(Sd.) *Illigible*,
Registrar General.

कार्यालय पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर

23 फरवरी, 2026 ई0

सं0 सीए/सीपी-(ई-रिक्शा/ई-ऑटो रूट प्रति0)-2026-मै रघुबीर लाल पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 एवं उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली-1998 के अधिनियम, 178 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आम जनमानस को सुगम, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातयात व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कानपुर नगर को सात रूटों में विभाजित कर ई-रिक्शा/ई-ऑटो के स्वामित्व एवं आवास के आधार पर निर्धारित संख्या में वितरित क्यूआर कोड युक्त कलर स्टीकर्स की कार्यवाही प्रचलित की गयी है। वर्तमान समय में ई-रिक्शा/ई-ऑटो परमिट व्यवस्था से मुक्त है जिस कारण इनका रूट निर्धारण सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है परन्तु धारा-31 पुलिस ऐक्ट के अनुसार सड़कों पर व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है।

अतः मैं रघुबीर लाल, पुलिस आयुक्त कानपुर नगर इन अधिनियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ई-रिक्शा/ई-ऑटो के रूट निर्धारण हेतु दिनांक 23 फरवरी, 2026 से निम्नांकित व्यवस्था लागू करता हूँ। कानपुर नगर के थानों को सात जोन/रूटों में ई-रिक्शा/ई-ऑटो संचरण हेतु विभाजित किया गया है। विवरण जोन/रूट निम्नवत् है—

जोन/रूट नं0-1

इस जोन में थाना कोतवाली, फीलखाना, मूलगंज, कलक्टरगंज, हरवंश मोहाल, बादशाही नाका, अनवरगंज, चमनगंज, रायपुरवा, बेकनगंज क्षेत्र में ई-रिक्शा/ई-ऑटो का पंजीकरण पता होगा का संचरण इस जोन/रूट पर किया जायेगा, इस जोन के मुख्य रूट निम्न है—

क्र0 सं0	रूट	हॉल्टिंग प्वाइन्ट
1	2	3
1.	नरौना चौराहा से फूलबाग चौराहा से चार्लिस चौराहा से मेघदूत तिराहा से बड़ा चौराहा से परेड चौराहा	परेड चौराहा (थाना-कोतवाली)
2.	घंटाघर चौराहा से श्यामबिहारी चौक से मूलगंज चौराहा से सदभावना चौराहा से परेड चौराहा से एम0जी0कालेज चौराहा से ग्रीन पार्क चौराहा	ग्रीन पार्क चौराहा (थाना-कोतवाली)
3.	डिप्टी पडाव चौराहा से बांस मण्डी तिराहा से चाचा नेहरू चौराहा से घंटाघर चौराहा	डिप्टी पडाव चौराहा (थाना-रायपुरवा)
4.	सरसैया घाट चौराहा से चेतना चौराहा से बड़ा चौराहा से मूलगंज चौराहा से अनवरगंज तिराहा से हमराज चौराहा से डिप्टी पडाव चौराहा	सरसैया घाट चौराहा (थाना-कोतवाली)
5.	परेड चौराहा से सदभावना चौराहा से यतीमखाना तिराहा से दादामियाँ चौराहा से आलम मार्केट से दलेलपुरवा से डिप्टी पडाव चौराहा	परेड चौराहा (थाना-कोतवाली)
6.	रॉयल गार्डन से टाटमील चौराहा से घंटाघर चौराहा से नरौना चौराहा	रॉयल गार्डन (टाटमील चौराहा) थाना-रेलबाजार

नोट— उक्त रूट के अतिरिक्त जोन/थाना क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त मार्गों पर वाहन स्वामी कलरयुक्त क्यूआर कोड वाले रजिस्टर्ड ई-रिक्शा/ई-ऑटो का संचरण कर सकेंगे।

जोन/रूट नं0-2

इस जोन में थाना नौबस्ता, किदवई नगर, बाबूपुरवा, रेलबाजार, सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा/ई-ऑटो का पंजीकरण पता होगा एवं रामादेवी चौराहा से नौबस्ता चौराहा तक फ्लाईओवर के नीचे वाली सड़क (दोनों तरफ) का संचरण इस जोन/रूट पर किया जायेगा, इस जोन के मुख्य रूट निम्न है—

क्र0 स0	रूट	हॉल्टिंग प्वाइन्ट
1	2	3
1.	यशोदा नगर बाईपास से किदवई नगर चौराहा से टाटमील से सी0ओ0डी0 पुल	सी0ओ0डी0 पुल, थाना-रेलबाजार
2.	यशोदा नगर बाइपास से देवकी नगर चौराहा से नमक फैक्ट्री चौराहा से गोपाल नगर से सैनिक चौराहा	यशोदा नगर बाइपास, थाना-नौबस्ता
3.	मछरिया टैम्पो स्टैन्ड से बजरंग चौराहा से पशुपति नगर तिराहा से यशोदा नगर बाइपास	पशुपति नगर तिराहा, थाना-नौबस्ता
4.	दासू कुआँ से पशुपति नगर तिराहा से शहनाई चौराहा से बजरंग चौराहा से सैनिक चौराहा से गंगापुर कालोनी	पशुपति नगर तिराहा, थाना-नौबस्ता
5.	नौबस्ता चौराहा से गौशाला चौराहा से बारादेवी चौराहा से अफीम कोठी	बारादेवी चौराहा, थाना-जूही
6.	शनिदेव मंदिर तिराहा से सोटे बाबा मंदिर चौराहा से गौशाला चौराहा से दीप तिराहा	दीप तिराहा, थाना-किदवई नगर चौराहा
7.	नौबस्ता चौराहा से बर्बा बाईपास चौराहा से बसंत पेट्रोल पम्प से कारगिल पेट्रोल पम्प से गुजैनी से एल0एम0एल0 चौराहा	नौबस्ता चौराहा, थाना-हनुमंत विहार
8.	किदवई नगर चौराहा से ईदगाह चौराहा से सुजातगंज	किदवई नगर चौराहा, थाना-किदवई नगर
9.	मछरिया तिराहा से पप्पू टैंट हाउस से ऑफिस चौराहा	ऑफिस चौराहा, थाना-नौबस्ता

नोट— उक्त रूट के अतिरिक्त जोन/थाना क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त मार्गों पर वाहन स्वामी कलरयुक्त क्यूआर कोड वाले रजिस्टर्ड ई-रिक्शा/ई-ऑटो का संचरण कर सकेंगे।

जोन/रूट नं0-3

इस जोन में थाना बर्बा, गुजैनी, हनुमंत विहार, जूही, गोविन्द नगर क्षेत्र में ई-रिक्शा/ई-ऑटो का पंजीकरण पता होगा का संचरण इस जोन/रूट पर किया जायेगा, इस जोन में मुख्य रूट निम्न है—

क्र0 स0	रूट	हॉल्टिंग प्वाइन्ट
1	2	3
1.	बसंत पेट्रोल पंप चौराहा से शास्त्री चौक चौराहा से सी0टी0आई0 तिराहा से दादा नगर पुल	सी0टी0आई0 तिराहा, थाना-गोविंद नगर
2.	सी0टी0आई0 तिराहा से नंदलाल चौराहा से जूही डिपो से बारादेवी चौराहा	सी0टी0आई0 तिराहा, थाना-गोविंद नगर

1	2	3
3.	किदवई नगर चौराहा से साइट नं0-01 चौराहा से बारादेवी चौराहा से जूही डिपो से नंदलाल चौराहा से चावला चौराहा	बारादेवी चौराहा, थाना-जूही
4.	कर्रही चौराहा से बर्रा बाईपास चौराहा से सचान चौराहा से दीप तिराहा से नंदलाल चौराहा से चावला चौराहा	दीप तिराहा, थाना-किदवई नगर
5.	सचान चौराहा से शास्त्री चौक से रतनलाल नगर से दबौली से गुजैनी	सचान चौराहा, थाना-बर्रा
6.	नौबस्ता बंबा तिराहा से खाण्डेपुर तिराहा से कर्रही रोड तिराहा	कर्रही रोड, थाना-बर्रा
7.	दासू कुंआ चौराहा से काठ की पुलिया से कर्रही रोड	कर्रही रोड, थाना-बर्रा
8.	बसंत पेट्रोल पंप चौराहा से शास्त्री चौक से सी0टी0आई0 तिराहा से दादा नगर पुल	सी0टी0आई0 तिराहा, थाना-गोविंद नगर
9.	सी0टी0आई0 तिराहा से नंदलाल चौराहा से जूही डिपो से बारादेवी चौराहा	सी0टी0आई0 तिराहा, थाना-गोविंद नगर
10.	किदवई नगर चौराहा से साइट नं0-01 से बारादेवी चौराहा से जूही डिपो से नंदलाल चौराहा से चावला चौराहा	बारादेवी चौराहा, थाना-जूही
11.	कर्रही से बर्रा बाईपास से सचान से दीप तिराहा से नंदलाल चौराहा से चावला चौराहा	दीप तिराहा, थाना-किदवई नगर

नोट— उक्त रूट के अतिरिक्त जोन/थाना क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त मार्गों पर वाहन स्वामी कलरयुक्त क्यूआर कोड वाले रजिस्टर्ड ई-रिक्शा/ई-ऑटो का संचरण कर सकेंगे।

जोन/रूट नं0-4

इस जोन में थाना चकेरी, जाजमऊ, छावनी, क्षेत्र में ई-रिक्शा/ई-ऑटो का पंजीकरण पता होगा एवं रामादेवी चौराहा से नौबस्ता चौराहा तक फ्लाईओवर के नीचे वाली सड़क (दोनों तरफ) का संचरण इस जोन/रूट पर किया जायेगा, इस जोन के मुख्य रूट निम्न है—

क्र0 स0	रूट	हॉल्टिंग प्वाइन्ट
1	2	3
1.	अहिरवाँ से रामादेवी चौराहा से शिवकटरा तिराहा से मनोज इण्टरनेशनल चौराहा से सीओडी पुल टाटमिल साइड	सीओडी पुल टाटमिल साइड थाना रेल बाजार
2.	लालबंगला चौराहा से 10 नं0 कैन्टीन तिराहा से राकेट तिराहा से नरौना चौराहा	नरौना चौराहा थाना हरवंश मोहाल
3.	जाजमऊ से सर्किट हाउस से पनचक्की चौराहा	पनचक्की चौराहा थाना छावनी

1	2	3
4.	श्यामनगर चौराहा से छप्पनभोग चौराहा से मनोज इण्टरनेशनल चौराहा से सीओडी पुल	सीओडी पुल टाटमिल साइड थाना रेल बाजार
5.	झाडीरबाबा पडाव तिराहा से पनचक्की चौराहा से नरौना चौराहा से राकेट तिराहा से शिवनारायण टण्डन सेतु	शिवनारायण टण्डन सेतु रेलबाजार साइड
6.	मंगला विहार तिराहा से छप्पन भोग चौराहा से सुजातगंज से सीओडी पुल	सीओडी पुल टाटमिल साइड थाना रेल बाजार

नोट—उक्त रूट के अतिरिक्त जोन/थाना क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त मार्गों पर वाहन स्वामी कलरयुक्त क्यूआर कोड वाले रजिस्टर्ड ई-रिक्शा/ई-ऑटो का संचरण कर सकेंगे।

जोन/रूट नं0-5

इस जोन में थाना कर्नलगंज, ग्वालटोली, सीसामऊ, बजरिया, कोहना क्षेत्र में ई-रिक्शा/ई-ऑटो का पंजीकरण पता होगा का संचरण इस जोन/रूट पर किया जायेगा, इस जोन के मुख्य रूट निम्न है—

क्र0 स0	रूट	हॉल्टिंग प्वाइन्ट
1	2	3
1.	परेड चौराहा से लालझमली चौराहा से चुन्नीगंज चौराहा से बकरमण्डीढाल से ईदगाह चौराहा से वीरेन्द्र स्वरूप पार्क तिराहा।	1. वीरेन्द्र स्वरूप पार्क तिराहा 2. परेड चौराहा
2.	परेड चौराहा से लालझमली चौराहा से चुन्नीगंज चौराहा से शनिदेव मन्दिर तिराहा से छ: बगलिया चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा से कोहना थाना चौराहा से कर्बला चौराहा	1. परेड चौराहा 2. कर्बला चौराहा
3.	परेड चौराहा से एम0जी0 कालेज चौराहा से ग्रीन पार्क चौराहा से पुष्पेन्द्र चौक तिराहा (परमट)	1. परेड चौराहा 2. पुष्पेन्द्र चौक तिराहा
4.	गुमटी नं0-5 चौराहा से ब्रम्ह नगर चौराहा से रामबाग चौराहा से बजरियाथाना चौराहा	1. गुमटी नं0-5 2. बजरिया थाना चौराहा
5.	जरीब चौकी चौराहा से पी0 रोड़ होते हुये रामबाग चौराहा से बजरिया थाना चौराहा	1. जरीब चौकी चौराहा 2. बजरिया थाना चौराहा

नोट—उक्त रूट के अतिरिक्त जोन/थाना क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त मार्गों पर वाहन स्वामी कलरयुक्त क्यूआर कोड वाले रजिस्टर्ड ई-रिक्शा/ई-ऑटो का संचरण कर सकेंगे।

जोन/रूट नं०-6

इस जोन में थाना कल्याणपुर, पनकी, अर्मापुर, रावतपुर थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा/ई-ऑटो का पंजीकरण पता होगा का संचरण इस जोन/रूट पर किया जायेगा, इस जोन के मुख्य रूट निम्न है—

क्र० स०	रूट	हॉल्टिंग प्वाइन्ट
1	2	3
1.	भौती बाईपास चौराहा से गैस प्लांट से एलएमएल चौराहा	भौती बाईपास चौराहा (थाना-पनकी)
2.	भौती बाईपास चौराहा से गंगागंज क्रॉसिंग से भाटिया तिराहा से अर्मापुर से विजय नगर चौराहा	भौती बाईपास चौराहा (थाना-पनकी)
3.	भाटिया तिराहा से पनकी मंदिर तिराहा से शताब्दी द्वार से आवास विकास नहरिया से सीएनजी पम्प से न्यू शिवली रोड तिराहा	भाटिया तिराहा (थाना-पनकी)
4.	न्यू शिवली रोड तिराहा से महिला होटल से एलडिको तिराहा	न्यू शिवली रोड (थाना-कल्याणपुर)
5.	मंधना चौराहा से ब्लू बर्ड तिराहा से चुंगी चौराहा बिदूर	मंधना चौराहा (थाना-बिदूर)
6.	बिदूर रोड तिराहा कल्याणपुर से सिंहपुर तिराहा से यश कोठारी चौराहा से चुंगी चौराहा बिदूर	बिदूर रोड तिराहा स्टैण्ड (थाना-कल्याणपुर)
7.	सिंहपुर तिराहा से इस्कॉन मंदिर से मैनावती मार्ग	सिंहपुर तिराहा (थाना-बिदूर)
8.	इन्दिरा नगर मोड़ तिराहा से मकड़ी खेडा से पाल तिराहा	इन्दिरा नगर मोड़ तिराहा (थाना-कल्याणपुर)
9.	गुरुदेव चौराहा से एचबीटीयू से चिडियाघर	गुरुदेव चौराहा (थाना-रावतपुर)
10.	दलहन क्रॉसिंग से सिलेंडर चौराहा से केशवपुरम से छपेडा पुलिया से नमक फैक्ट्री	नमक फैक्ट्री (थाना-रावतपुर)
11.	गुरुदेव क्रॉसिंग चौराहा से छपेडा पुलिया चौराहा से नमक फैक्ट्री चौराहा	नमक फैक्ट्री (थाना-रावतपुर)

नोट—उक्त रूट के अतिरिक्त जोन/थाना क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त मार्गों पर वाहन स्वामी कलरयुक्त क्यूआर कोड वाले रजिस्टर्ड ई-रिक्शा/ई-ऑटो का संचरण कर सकेंगे।

जोन/रूट नं0-7

इस जोन में थाना काकादेव, स्वरूपनगर, नजीराबाद, फजलगंज, नबावगंज थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा/ई-ऑटो का पंजीकरण पता होगा का संचरण इस जोन/रूट पर किया जायेगा, इस जोन के मुख्य रूट निम्न है—

क्र0 स0	रूट	हॉल्टिंग प्वाइन्ट
1	2	3
1.	विजय नगर चौराहा से फजलगंज चौराहा से जरीब चौकी चौराहा	1. विजय नगर चौराहा 2. जरीब चौकी चौराहा
2.	बी0ओ0बी0 चौराहा से फजलगंज चौराहा से मरियमपुर चौराहा से पॉलीवाल तिराहा से हैलट हास्पिटल से मोतीझील मेट्रो स्टेशन से बेनाझबर तिराहा से वीरेन्द्र स्वरूप पार्क तिराहा	1. बी0ओ0बी0 पुल के नीचे 2. वीरेन्द्र स्वरूप पार्क तिराहा
3.	विजयनगर चौराहा से डबलपुलिया से नमक फैक्ट्री चौराहा से शारदानगर क्रॉसिंग	1. विजय नगर चौराहा 2. शारदानगर क्रॉसिंग
4.	विजय नगर चौराहा से डबल पुलिया से नीर-झीर चौराहा से देवकी चौराहा से गुटैया क्रॉसिंग	1. विजय नगर चौराहा 2. गुटैया क्रॉसिंग
5.	कर्बला चौराहा से मैनावती मार्ग तिराहा से गुरुदेव चौराहा	1. कर्बला चौराहा 2. गुरुदेव चौराहा
6.	कर्बला चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा से रावतपुर तिराहा	1. कर्बला चौराहा 2. रावतपुर तिराहा

नोट— उक्त रूट के अतिरिक्त जोन में पड़ने वाले समस्त मार्गों पर वाहन स्वामी कलरयुक्त क्यूआर कोड वाले रजिस्टर्ड ई-रिक्शा/ई-ऑटो का संचरण कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 20 मई, 2025 को ई-रिक्शा/ई-ऑटो के संचालन हेतु 40 रूटों को निर्धारित कर वितरित क्यूआर कोड के आधार पर दिनांक 01 जून, 2025 से संचालन की अनुमित प्रदान की गयी थी जिसका प्रकाशन सरकारी गजट संख्या 21 खण्ड 79 प्रयागराज, शनिवार, 24 मई, 2025 ई0 (ज्येष्ठ 03, 1947 शक संवत्) में किया गया है। इस ई-रिक्शा/ई-ऑटो पॉलिसी प्रक्रिया सरकारी गजट से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः कानपुर नगर में सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित रूट का अनुपालन सभी सम्बन्धित द्वारा किया जायेगा। साथ ही उपरोक्तानुसार की गयी व्यवस्था का अनुपालन के साथ-साथ इसका व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर मोटर वाहन अधिनियम व पुलिस अधिनियम तथा अन्य सुसंगत दण्डित प्राविधानों के तहत विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी।

सर्वसम्बंधित तदनुसार सूचित होकर आदेश का कड़ाई से अनुपालन/क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

रघुबीर लाल,
पुलिस आयुक्त,
कानपुर नगर।

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां कार्यालय, जिलाधिकारी, लखनऊ

**भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
की धारा 11 की अधिसूचना**

19 फरवरी, 2026

सं० 1438(vii)/08-अ०जि०अ०(भू०अ०) शा०सहा०परि०, लखनऊ-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, लखनऊ द्वारा संचालित राजाजीपुरम स्थित जलालपुर फाटक के समीप लक्ष्मण विहार पारा रोड पर किमी०-17.372 पर रेलवे क्रॉसिंग संख्या-08, स्पेशल 2/टी पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए जनपद लखनऊ तहसील सदर परगना लखनऊ ग्राम पारा की 0.2869हे० की भूमि की आवश्यकता है।

2- राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक-11.02.2026 को अनुमोदित किया गया है।

3- सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार है :-

राजाजीपुरम स्थित जलालपुर फाटक के समीप लक्ष्मण विहार पारा रोड पर किमी०-17.372 पर रेलवे क्रॉसिंग संख्या-08, स्पेशल 2/टी पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन/अधिग्रहण किया जाना जनहित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति, सामाजिक लाभ व सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

भूमि के अधिग्रहण से होने वाला सम्भावित लाभ प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना से अधिक है।

4- भूमि अर्जन में विस्थापन की सम्भावना नहीं है।

5- अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या/प्लॉट संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
01	लखनऊ	सदर	पारा	702 सं०	0.0103
02				703	0.0250
03				705	0.0133
04				755	0.0239
05				756	0.0231
06				757	0.0114

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
07				758	0.0057
08				763	0.0116
09				764	0.0094
10				765	0.0094
11				773अ	0.0297
12				775	0.0172
13				779	0.0137
14				781	0.0161
15				784	0.0236
16				786	0.0227
17				805	0.0013
18				गाटा सं०—1005	0.0195
				(प्लॉट सं०—डी-2 व डी-4)	
				कुल योग	0.2869

- 6— अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।
- 7— अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
- 8— अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) शारदा सहायक परियोजना, कक्ष सं०—40, कलेक्ट्रेट, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

विशाख जी०,
कलेक्टर,
लखनऊ।

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी

प्रारूप-18

[नियम-20 का उप नियम (2)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना
(अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

21 अप्रैल, 2026 ई0

सं0 857/वि0भू0अ0अ0/वाराणसी-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा(1) के अधीन जनपद-वाराणसी के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर की राय है कि जनपद-वाराणसी में दालमण्डी मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु रकबा-7017.847 वर्गमीटर अर्थात् 0.7017847 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

- 2— सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी मेसर्स ई0एन0वी0 डेवलपमेन्टल असिस्टेन्स सिस्टम (इण्डिया) प्राईवेट लि0 लखनऊ द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 21.04.2026 को अनुमोदित किया गया है।
- 3— भूमि अर्जन के कारण प्रभावित ग्रामों में कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- 4— उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0-414/एक-13-2014-7क(8)/2014 लखनऊ, दिनांक 06 अगस्त 2014, के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।
- 5— अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देती हैं —

अनुसूची

जनपद	तहसील	राजस्व ग्राम/ मुहल्ला का नाम	भवन संख्या	आराजी संख्या	प्रभावित भूमि/भवन का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					मीटर
वाराणसी	सदर	काशीपुरा	C 1/23	793	64.350
			सी 1/21, सी 1/22	803	51.480
			सी 1/20-1-2, सी 1/20-1-2-h	804	20.052
			भवन सं0-सी 1/20-1-2, सी 1/20-1-2-h	805	36.19
			सी 1/19	-	65.377
			सी 1/18-A	-	47.008
			सी 1/18	-	48.588

1	2	3	4	5	6
					मीटर
वाराणसी	सदर	काशीपुरा	सी 1/16, 17	-	21.125
			सीके0 67/30	-	19.604
			सीके0 67/31	858	14.274
			सीके0 67/31-ए-1	858	22.859
			सीके0 67/29	860	50.673
			सीके0 67/28	861	47.375
			सीके0 67/26	863	56.885
			सीके0 67/25-1	863	28.100
			सीके0 67/25	863	15.435
			सीके0 67/25	864	20.0
			सीके0 67/23	865	44.288
			सीके0 67/23-ए	865	16.965
			सीके0 67/22, सीके0 67/22-ए	866	45.630
			सीके0 67/21, सीके0 67/21-ए	867	65.343
			सीके0 67/20	876/4178	138.01
			सीके0 67/20 /	868 (130.00)	130.00
			सीके0 67/8	877	23.842
			सीके 67/5-6-7, 67/5-6-7-1	877	119.999
			सीके0 68/36	880	51.866
			सीके0 68/35	880	13.111
				योग	1278.43
वाराणसी	सदर	शहर खास	सीके068/34	3407	40.898
			सीके0 68/1	3407	46.451
			सीके0 69/34	3408	37.518
			सीके0 69/33	3409	37.325
			सीके0 69/32	3410	37.424

1	2	3	4	5	6
					मीटर
वाराणसी	सदर	शहर खास	सीके0 69/31-B	3411	25.376
			सीके0 69/31	3411	27.134
			सीके0 69/31-A	3411	28.314
			सीके0 69/30	3412	38.181
			सीके0 69/29	3413	58.139
			सीके0 69/28	3415	52.390
			सीके0 69/27	3416	49.335
			सीके0 69/26	3417	53.196
			सीके0 69/25	3418	20.381
			सीके0 69/5	7239	13.17
			सीके0 69/4	7239	44.046
			सीके0 69/3	7240	52.832
			सीके0 43/186-ए, सीके0 43/186-ए-1	7243	39.972
			सीके 0 43/186	7243	34.393
			सीके 043/184+183+185+78	7251	17.0
			सीके 043/184+183+185+78	7252	15.687
			सीके 0 43/182	7253	28.743
			सीके 0 43/182-ए	7253	31.590
			सीके 0 43/175-ए	7259	42.998
			सीके 0 43/175	7259	40.940
			सीके 0 43/175-बी	7259	20.787
			सीके 0 43/173	-	39.000
			सीके 0 43/172	-	27.797
			सीके 0 43/160	-	34.125
			सीके 0 43/160-ए	-	23.166
			सीके 0 43/159, 43/160	-	56.628
			सीके 0 43/158	-	46.508

1	2	3	4	5	6
					मीटर
वाराणसी	सदर	शहर खास	सीके 0 43/157	-	53.599
			सीके 0 43/155	-	26.800
			सीके 0 43/151	-	32.851
			सीके 0 43/150	-	23.166
			सीके 0 43/150	-	12.870
			सीके 0 43/153	-	32.357
			सीके 0 43/148	-	35.916
			सीके 0 43/147-एफ	-	33.280
			सीके 0 43/146	-	46.774
			सीके 0 43/145	-	45.455
			सीके 0 43/142	-	19.33
			सीके 0 43/124	-	36.719
			सीके 0 43/123	-	33.222
			सीके 0 43/122	-	47.210
			सीके 0 43/121	-	41.561
			सीके 0 43/120	-	31.382
			सीके 0 43/119	-	32.598
			सीके 0 43/116, सीके 0 43/118	-	79.950
			सीके 0 43/115	-	56.940
			सीके 0 43/114	-	50.286
			सीके 0 43/113-ए	-	30.352
			सीके 0 43/112	-	17.160
			D.50/203-K	7351	49.550
			D.50/204	7352	53.053
			D.50/205	7353	33.046
			D.50/206	7354	55.179
			D.50/208	7356	61.685
			D.50/209-D-1	7357	19.34

1	2	3	4	5	6
					मीटर
वाराणसी	सदर	शहर खास	D.50/209	7357	44.090
			D.50/210	7358	44.954
			D.50/212	7361	51.121
			D.50/213	7362	28.5
			D.50/213	7363	28.385
			D.50/214, 215	7364	29.5
			D.50/214, 215	7365	29.013
			D.50/216	7366	26.598
			D.50/217, 218	7367	52.390
			D.50/219	7368	12.643
			D.50/220, 220 -F	7458	64.815
			D.50/221	7459	66.567
			D.50/222+222-A	7461	47.0
			D.50/222+222-A	7462	47.392
			D.50/224+225	7466	44.636
			D.50/226	7467	28.529
			D.50/228-	7470	29.822
			D.50/229, 229-A	-	146.965
			D.50/249+248	7471/11576	38.3
			D.50/249+248	7704	39.0
			D.50/250	7705	42.419
			सीके0 42/1	7705	64.350
			सीके0 42/4	7710	36.0
			सीके0 42/4	7711	35.569
			सीके0 42/5, 6, 6-ए	7712	67.080
			सीके0 42/7	7713	56.999
			सीके0 42/9	7780	36.45
			सीके0 42/9	7781	37.0
			सीके0 42/11	7782	39.962
			सीके0 42/12	7783	33.0
			सीके0 42/12	7784	32.748
			सीके0 42/88	7785	42.266

1	2	3	4	5	6
					मीटर
वाराणसी	सदर	शहर खास	सीके0 42/86-ए	7786	22.0
			सीके0 42/86-ए	7787	21.752
			सीके0 42/85-ए	7787	36.894
			सीके0 42/89	7787	34.060
			सीके0 42/90	7788	21.5
			सीके0 42/90	7789	21.075
			सीके0 42/91	7789	37.593
			सीके0 42/93,92	7790	81.029
			सीके0 42/94,95	7790	47.5
			सीके0 42/94,95	7792	47.076
			सीके0 42/96-ए	7793	42.101
			सीके0 42/97	7793	45.045
			सीके0 42/98	7793	37.424
			सीके0 42/99	7793	47.580
			सीके0 42/100, 101	7795	61.0
			सीके0 42/100, 101	7796	61.5
			सीके0 42/100, 101	7797	61.255
			सीके0 42/102, 103	7798	69.364
			सीके0 42/104	7799	26.0
			सीके0 42/104	7800	25.756
			सीके0 42/105	7800	39.780
			सीके0 40/1	7931	48.263
			सीके0 40/71-ए	7933	29.575
			सीके0 40/71	7934	29.718
			सीके0 40/72	7935	26.0
			सीके0 40/72	7936	25.87
			सीके0 40/73	7936	37.037

1	2	3	4	5	6
					मीटर
वाराणसी	सदर शहर खास		सीके0 40/74-75	7937	68.699
			सीके0 40/77	7939	28.206
			सीके0 40/77	7940	28.206
			सीके0 40/79	7941	35.217
			सीके0 40/80	7941	33.280
			सीके0 40/66- 40/66-ए-बी-सी-डू-एफ व 40/66-जी	7941	55.559
			सीके0 40/66- 40/66-ए-बी-सी-डू-एफ व 40/66-जी	7943	48.721
			सीके0 40/66-2	7944	33.301
			सीके0 40/66-2	7945	33.301
			सीके0 39/1	7945	8.055
			सीके0 39/1	7946	8.165
			सीके0 39/2	7947	58.130
			सीके0 39/3+4	7949	36.140
			सीके0 39/8	7953	46.332
			सीके0 39/9	7954	55.744
			सीके0 39/11	7955	33.033
			सीके0 39/12	7956	34.412
			सीके0 39/13	7956	25.5
			सीके0 39/14, 15	-	82.5
			सीके0 39/16/17	-	61.554
			सीके0 39/74+76/43, सीके0 39/74+76/39+42	-	112.237
			सीके0 39/70	-	18.538
			सीके0 39/71	-	28.152
			सीके0 39/73	-	5.55
			योग..		5739.417
					7017.847 वर्ग मीटर
			सम्पूर्ण योग...		अर्थात्
					0.7017847 हे०

- 6— अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।
- 7— अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, वाराणसी को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
- 8— अधिनियम की धारा-11(4) के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, वाराणसी के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, वाराणसी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

राज्य सरकार/जिला कलेक्टर
वाराणसी।

VARANASI PROVINCIAL DIVISION, PUBLIC WORKS DEPARTMENT, VARANASI
FORM-18

[Sub-rule(2) of rule 20]

**PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE
GOVERNMENT/COLLECTOR [UNDER SUB-SECTION (1) OF
SECTION 11 OF THE ACT, 2013]**

NOTIFICATION

April 21, 2026

No. 857/S.L.A.O. VARANASI—Under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government), is satisfied that total of 7017.847 squire meter or 0.7017847 hectares of land is required in the Village-Kashipura and Shahar Khas, Pargana Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi is required for public purpose namely the widening and strengthening of Dalmandi Road through Public Works Department, Provincial Division Varanasi.

2- Social Impact Assessment study was carried out by M/S ENV Development Assistantce System (I) Pvt.Ltd.C-363, Indra Nagar, Lucknow and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendations on dated-21.04.2026.

3- Due to land acquisition no family is being displaced in the said Village.

4- In the sequence of Government Order No. 0-414/One-13-2014-7A(8)/2014 Lucknow dated 06 August 2014, issued by the Government of Uttar Pradesh, The Sub-Divisional Officer, Sadar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families.

5- Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village	House Number	Plot Number	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Meter</i>
Varanasi	Sadar	Kashipura	C 1/23	793	64.350
			सी 1/21, सी 1/22	803	51.480
			सी 1/20-1-2, सी 1/20-1-2-h	804	20.052
			भवन सं०-सी 1/20-1-2, सी 1/20-1-2-h	805	36.19
			सी 1/19	-	65.377
			सी 1/18-A	-	47.008
			सी 1/18	-	48.588
			सी 1/16, 17	-	21.125
			सीके० 67/30	-	19.604
			सीके० 67/31	858	14.274
			सीके० 67/31-ए-1	858	22.859
			सीके० 67/29	860	50.673
			सीके० 67/28	861	47.375
			सीके० 67/26	863	56.885
			सीके० 67/25-1	863	28.100
			सीके० 67/25	863	15.435
			सीके० 67/25	864	20.0
			सीके० 67/23	865	44.288
			सीके० 67/23-ए	865	16.965
			सीके० 67/22, सीके० 67/22-ए	866	45.630
			सीके० 67/21, सीके० 67/21-ए	867	65.343
			सीके० 67/20	876/4178	138.01
			सीके० 67/20 /	868 (130.00)	130.00
			सीके० 67/8	877	23.842

1	2	3	4	5	6
					<i>Meter</i>
Varanasi Sadar	Kashipura	सीके 67/5-6-7, 67/5-6-7-1	877	119.999	
		सीके0 68/36	880	51.866	
		सीके0 68/35	880	13.111	
			योग	1278.43	
„	„	Shahar Khas	सीके068/34	3407	40.898
			सीके0 68/1	3407	46.451
			सीके0 69/34	3408	37.518
			सीके0 69/33	3409	37.325
			सीके0 69/32	3410	37.424
			सीके0 69/31-B	3411	25.376
			सीके0 69/31	3411	27.134
			सीके0 69/31-A	3411	28.314
			सीके0 69/30	3412	38.181
			सीके0 69/29	3413	58.139
			सीके0 69/28	3415	52.390
			सीके0 69/27	3416	49.335
			सीके0 69/26	3417	53.196
			सीके0 69/25	3418	20.381
			सीके0 69/5	7239	13.17
			सीके0 69/4	7239	44.046
			सीके0 69/3	7240	52.832
		सीके0 43/186-ए, सीके0 43/186-ए-1	7243	39.972	
		सीके 0 43/186	7243	34.393	
		सीके 043/184+183+185+78	7251	17.0	
		सीके 043/184+183+185+78	7252	15.687	
		सीके 0 43/182	7253	28.743	
		सीके 0 43/182-ए	7253	31.590	

1	2	3	4	5	6
					<i>Meter</i>
Varanasi Sadar	Shahar Khas		सीके 0 43/175-ए	7259	42.998
			सीके 0 43/175	7259	40.940
			सीके 0 43/175-बी	7259	20.787
			सीके 0 43/173	-	39.000
			सीके 0 43/172	-	27.797
			सीके 0 43/160	-	34.125
			सीके 0 43/160-ए	-	23.166
			सीके 0 43/159, 43/160	-	56.628
			सीके 0 43/158	-	46.508
			सीके 0 43/157	-	53.599
			सीके 0 43/155	-	26.800
			सीके 0 43/151	-	32.851
			सीके 0 43/150	-	23.166
			सीके 0 43/150	-	12.870
			सीके 0 43/153	-	32.357
			सीके 0 43/148	-	35.916
			सीके 0 43/147-एफ	-	33.280
			सीके 0 43/146	-	46.774
			सीके 0 43/145	-	45.455
			सीके 0 43/142	-	19.33
			सीके 0 43/124	-	36.719
			सीके 0 43/123	-	33.222
			सीके 0 43/122	-	47.210
			सीके 0 43/121	-	41.561
			सीके 0 43/120	-	31.382
			सीके 0 43/119	-	32.598
			सीके 0 43/116, सीके 0 43/118	-	79.950

1	2	3	4	5	6
					<i>Meter</i>
Varanasi Sadar	Shahar Khas	सीके 0 43/115	-	-	56.940
		सीके0 43/114	-	-	50.286
		सीके0 43/113-ए	-	-	30.352
		सीके0 43/112	-	-	17.160
		D.50/203-K	7351	-	49.550
		D.50/204	7352	-	53.053
		D.50/205	7353	-	33.046
		D.50/206	7354	-	55.179
		D.50/208	7356	-	61.685
		D.50/209-D-1	7357	-	19.34
		D.50/209	7357	-	44.090
		D.50/210	7358	-	44.954
		D.50/212	7361	-	51.121
		D.50/213	7362	-	28.5
		D.50/213	7363	-	28.385
		D.50/214, 215	7364	-	29.5
		D.50/214, 215	7365	-	29.013
		D.50/216	7366	-	26.598
		D.50/217, 218	7367	-	52.390
		D.50/219	7368	-	12.643
		D.50/220, 220 -F	7458	-	64.815
		D.50/221	7459	-	66.567
		D.50/222+222-A	7461	-	47.0
		D.50/222+222-A	7462	-	47.392
		D.50/224+225	7466	-	44.636
		D.50/226	7467	-	28.529
		D.50/228-	7470	-	29.822
		D.50/229, 229-A	-	-	146.965
		D.50/249+248	7471/11576	-	38.3
		D.50/249+248	7704	-	39.0
		D.50/250	7705	-	42.419
		सीके0 42/1	7705	-	64.350
		सीके0 42/4	7710	-	36.0

1	2	3	4	5	6
					<i>Meter</i>
Varanasi	Sadar	Shahar Khas	सीके0 42/4	7711	35.569
			सीके0 42/5, 6, 6-ए	7712	67.080
			सीके0 42/7	7713	56.999
			सीके0 42/9	7780	36.45
			सीके0 42/9	7781	37.0
			सीके0 42/11	7782	39.962
			सीके0 42/12	7783	33.0
			सीके0 42/12	7784	32.748
			सीके0 42/88	7785	42.266
			सीके0 42/86-ए	7786	22.0
			सीके0 42/86-ए	7787	21.752
			सीके0 42/85-ए	7787	36.894
			सीके0 42/89	7787	34.060
			सीके0 42/90	7788	21.5
			सीके0 42/90	7789	21.075
			सीके0 42/91	7789	37.593
			सीके0 42/93,92	7790	81.029
			सीके0 42/94,95	7790	47.5
			सीके0 42/94,95	7792	47.076
			सीके0 42/96-ए	7793	42.101
			सीके0 42/97	7793	45.045
			सीके0 42/98	7793	37.424
			सीके0 42/99	7793	47.580
			सीके0 42/100, 101	7795	61.0
			सीके0 42/100, 101	7796	61.5
			सीके0 42/100, 101	7797	61.255
			सीके0 42/102, 103	7798	69.364

1	2	3	4	5	6
					<i>Meter</i>
Varanasi	Sadar	Shahar Khas	सीके0 42/104	7799	26.0
			सीके0 42/104	7800	25.756
			सीके0 42/105	7800	39.780
			सीके0 40/1	7931	48.263
			सीके0 40/71-ए	7933	29.575
			सीके0 40/71	7934	29.718
			सीके0 40/72	7935	26.0
			सीके0 40/72	7936	25.87
			सीके0 40/73	7936	37.037
			सीके0 40/74-75	7937	68.699
			सीके0 40/77	7939	28.206
			सीके0 40/77	7940	28.206
			सीके0 40/79	7941	35.217
			सीके0 40/80	7941	33.280
			सीके0 40/66- 40/66-ए-बी-सी-डू-एफ व 40/66-जी	7941	55.559
			सीके0 40/66- 40/66-ए-बी-सी-डू-एफ व 40/66-जी	7943	48.721
			सीके0 40/66-2	7944	33.301
			सीके0 40/66-2	7945	33.301
			सीके0 39/1	7945	8.055
			सीके0 39/1	7946	8.165
			सीके0 39/2	7947	58.130
			सीके0 39/3+4	7949	36.140
			सीके0 39/8	7953	46.332
			सीके0 39/9	7954	55.744
			सीके0 39/11	7955	33.033
			सीके0 39/12	7956	34.412
			सीके0 39/13	7956	25.5

1	2	3	4	5	6
					<i>Meter</i>
Varanasi	Sadar	Shahar Khas	सीके० 39/14, 15	-	82.5
			सीके० 39/16/17	-	61.554
			सीके० 39/74+76/43, सीके० 39/74+76/39+42	-	112.237
			सीके० 39/70	-	18.538
			सीके० 39/71	-	28.152
			सीके० 39/73	-	5.55
				योग..	5739.417
					7017.847 Sq.m.
				सम्पूर्ण योग..	Or
					0.7017847 Hec.

- 6- The Hon'ble Governor is also pleased to authorize the Collector, District Varanasi for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or the sub-soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.
- 7- Under section 15 of the Act, any person interested in the land in question may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection on acquisition of land in the locality in writing to the Collector, Varanasi.
- 8- Under section 11(4) of the Act, no person without prior approval of the Collector, Varanasi shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/ purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Varanasi.

State Government/Collector,
Varanasi.

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी**प्रारूप-18****(नियम-20 का उप नियम (2))****समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना
(अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत)****अधिसूचना**

17 अप्रैल, 2026 ई0

सं0 832/अ0जि0भू0अ0/वाराणसी-1-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उप धारा(1) के अधीन जनपद-वाराणसी के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर की राय है कि जनपद-वाराणसी में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी की लालपुर आवासीय योजना हेतु अधिग्रहित भूमि से आराजी सं0 182/916 व आराजी सं0 458मि0 के छुटे हुये क्रमशः रकबा 128.33 वर्ग मी0 व 67.34 वर्ग मी0 अर्थात् कुल रकबा 195.67 वर्ग मी0 ग्राम-लालपुर, परगना-शिवपुर, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी से भूमि की आवश्यकता है।

2-सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी कल्याण संस्थान, श्याम भवन, काजी का पुरा रूदौली, अयोध्या (उ0प्र0) द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। अध्ययन रिपोर्ट का आंकलन विशेषज्ञ समूह द्वारा किया गया, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 13.04.2026 को अनुमोदित किया गया है।

3-सामाजिक समाघात रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है :-

I- जनपद वाराणसी में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी की लालपुर आवासीय योजना हेतु ग्राम-लालपुर से अधिग्रहित भूमि में छुटे हुये भूमि का अर्जन/अधिग्रहण किया जाना जनहित में है।

II- परियोजना के निर्माण से सम्भावित लाभ भूमि के अर्जन से प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में कही अधिक है।

4-भूमि-अर्जन के कारण प्रश्न गत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 414/एक-13-2014-7क (8)/2014 लखनऊ दिनांक-06 अगस्त 2014, के अनुक्रम में उप जिलाधिकारी, सदर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1	2	3	4	5	6
वाराणसी	सदर	शिवपुर	लालपुर (मीरापुर बसही)	182/916	128.33
2				458मि0	67.34
				योग ...	195.67

6-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, वाराणसी को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8-अधिनियम की धारा-11(4) के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, वाराणसी के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, वाराणसी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

राज्य सरकार/जिला कलेक्टर
वाराणसी।

VARANASI DEVELOPMENT AUTHORITY, VARANASI

FORM-18

[Sub-rule(2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR [UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT, 2013]

NOTIFICATION

April 17, 2026

No. 832/A.D.M.(L.A.)VARANASI-1-Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector for the purpose of Lalpur Housing Scheme of Varanasi Development Authority, Varanasi in District Varanasi is satisfied that a total Area of 195.67 Square Metre of land is required in the Village Lalpur, Pargana Shivpur, Tehsil Sadar, District Varanasi, is required for the Public Purpose, Lalpur Housing Scheme, through Varanasi Development Authority.

2-Social Impact Assessment study was carried out by Kalyan Sansthan Shyam Bhavan Kazi ka pura Rudauli, Ayodhya (UP) and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government agency which has approved its recommendations on dated 13.04.2026.

3-The summary of Social Impact Assessment as follows:-

- I- In Varanasi district, the acquisition of left-out land in Lalpur Village for the Lalpur Residential Scheme by the Varanasi Development Authority is in the public interest.
- II- The potential benefits from the construction of the project are significantly higher compared to the adverse social impacts caused by the land acquisition.

4-There is no possibility of any family being displaced in the village in question due to the land acquisition.

In the sequence of Government Order No. 0-414/One-13-2014-7A(8)/2014 Lucknow dated-06 August 2014, issued by the Government of Uttar Pradesh, The Sub-

Divisional Officer, Sadar is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families.

5-Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose.

SCHEDULE

DISTRICT	TEHSIL	PARAGNA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA TO BE ACQUIRED (IN Square Metre)
1	2	3	4	5	6
Varanasi	Sadar	Shivpur	Lalpur (Meerapur Basahi)	182/916	128.33
2				458mi	67.34
				Total ...	195.67

6-The Hon'ble Governor is also pleased to authorize the Collector, district Varanasi for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon, conduct survey of land, take levels of any land, dig are sub-soil in to and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7-Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8-Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/ purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector, For the purpose of acquisition.

State Government/Collector,
Varanasi.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 अप्रैल, 2026 ई० (वैशाख 5, 1948 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, श्रावस्ती

06 जनवरी, 2026 ई०

सं० 931/एल०बी०ए०(उपविधि)2026-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित 1994) की धारा-142 एवं 143 के साथ पठित धारा-239(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत श्रावस्ती द्वारा जनपद श्रावस्ती के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली मिलों/कारखानों/फैक्ट्री आदि उद्योगों के लाइसेन्स शुल्क की मानक व संशोधित दरो सहित उपविधियों को जिला पंचायत, श्रावस्ती द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् सर्वसाधारण के सूचनार्थ तथा आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से समाचार पत्रों में प्रकाशन के उपरान्त सुझाव एवं आपत्ति आमन्त्रित किया गया, परन्तु कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात् जिलाधिकारी श्रावस्ती द्वारा उक्त उपविधि का राजकीय गजट में प्रकाशन कराने हेतु की गई संस्तुति के क्रम में उक्त उपविधि को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु अनुमोदित किया जाता है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

उपविधि

1- कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था, राजकीय विभाग/राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेकों के ठेकेदारों या स्थानीय संस्थाएँ, व्यापारियों/दुकानदारों/फर्म/कारखाना मालिक आदि जनपद श्रावस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय/व्यापार, जिला पंचायत, श्रावस्ती से लाइसेन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही करेंगे।

2- इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स/अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाएगा-

(अ) लाइसेन्स का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा और तय अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् पुनः नवीनीकरण कराना होगा।

(ब) लाइसेन्स निर्धारित शुल्क भुगतान करने के पश्चात् ही जारी किये जाएंगे।

(स) लाइसेन्स प्राप्त करने वाले व्यवसायी को व्यवसाय का पूरा विवरण नोटरी हलफनामा के साथ देना होगा।

(द) प्रत्येक लाइसेन्सधारक को अपनी दुकान के सामने एक साइनबोर्ड लगाना होगा जिस पर दुकान, दुकानदार तथा व्यवसाय का नाम स्पष्ट लिखना होगा।

3— लाइसेन्स शुल्क की वसूली जिला पंचायत के कर्मचारियों या ठेकेदारों द्वारा की जायेगी एवं लाइसेन्स शुल्क के वसूली सम्बन्धी ठेके की नीलामी जिला पंचायत श्रावस्ती द्वारा की जाएगी।

4— जिला पंचायत श्रावस्ती के मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, जिला पंचायत के लाइसेन्स अधिकारी होंगे, जिनको इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स देने, समाप्त करने, निलम्बित करने, न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने, वापस लेने तथा सुलह करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5— इन उपविधियों का उल्लंघन करने के उपरान्त चलाये गये मुकदमों के दौरान लाइसेन्स शुल्क का 50 प्रतिशत सुलहनामा शुल्क के रूप में जमा कराकर लाइसेन्स अधिकारी समझौता कर सकेगा। सुलहनामा शुल्क, लाइसेन्स शुल्क व विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त होगा।

6— लाइसेन्स अधिकारी के किसी ओदश के विरुद्ध अध्यक्ष, जिला पंचायत श्रावस्ती को 30 दिन के अन्दर अपील की जा सकती है। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

7— लाइसेन्स की अवधि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। ईट भट्टों की लाइसेन्स अवधि 01 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक होगी।

8— लाइसेन्स प्राप्त करने या उसका नवीनीकरण करने का आवेदन निर्धारित प्रारूप पर दिया जायेगा, जो निर्धारित शुल्क जमा करने पर जिला पंचायत, श्रावस्ती कार्यालय से प्राप्त होगा। इसका मूल्य रु0 10 (दस रुपए मात्र) होगा।

9— खाद्य पदार्थ बनाने वाले दुकानदारों द्वारा ऐसी धातु का बर्तन प्रयोग न किया जाये, जो खाद्य पदार्थ को दूषित करते हों एवं उनमें बनाया गया पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट न हों।

10— अवयस्क (नाबालिग), किसी छूत की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को लाइसेन्स नहीं जारी किया जाएगा।

11— कारखाना मालिकों/पेट्रोल पम्प मालिकों/बड़े व्यवसायों को अपने फर्म में साफ-सफाई प्रबन्ध एवं अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य होगा।

12— बालश्रम कराने पर लाइसेन्स निरस्त कर चालान की कार्यवाही कर दी जायेगी।

13— पशु वधशाला/मीट शाप (मुर्गा, बकरा, मछली) आदि की दुकान/व्यवसाय करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा—

(अ)— पशु वधशाला/मीट शाप सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक/धार्मिक स्थल से कम से कम 500 मी0 दूर होना चाहिए तथा इस प्रकार बन्द होगा कि बाहर से किसी व्यक्ति को दिखाई न दे।

(ब)— विक्रय हेतु रखे खाद्य पदार्थ पूर्णतया आच्छादित होने चाहिए तथा ऐसी धातु का प्रयोग न हो जिससे खाद्य पदार्थ को किसी प्रकार से विषाक्त या विकृत करते हों।

(स)– पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1980 के मानकों का अनुपालन आवश्यक होगा, जिसके अन्तर्गत विशेष रूप से पशुओं के प्रति वध-पूर्व प्रक्रमों के अनावश्यक शारीरिक व मानसिक पीड़ा या यातना यथासम्भव समाप्त किया जाय।

(द)– पशुवध मीट शाप/ब्रिक्री स्थल पर साफ-सफाई तथा पास की नाली का ढका होना आवश्यक है। अगर निरीक्षण के दौरान गन्दगी पायी जाती है तो संक्रामक रोग फैलने की शंका पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(य)– पशु को काटने से पूर्व उसको निकटतम पशु चिकित्सालय के पशुचिकित्सा अधिकारी से उसके स्वस्थ होने तथा दुधारू और गर्भिणी न होने का प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा।

(र)– उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एन0ओ0सी0 अनिवार्य होगा।

(ल)– शर्तों के क्रम में रजिस्टर्ड हलफनामा लाइसेन्स अधिकारी, जिला पंचायत श्रावस्ती को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क जमा करने के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करने की दशा में शुल्क जब्त कर ली जायेगी। अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अवधि वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। 01 अप्रैल से पूर्व नवीनीकरण न कराये जाने पर निर्धारित विलम्ब शुल्क देना अनिवार्य होगा।

14– जिला पंचायत श्रावस्ती द्वारा जारी लाइसेन्स उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों व प्रतिबन्धों के अधीन रहेगा।

जारी लाइसेन्स शुल्क निम्नवत होगा—

क्रम सं०	व्यवसायों का विवरण	पुरानी/वर्तमान दर लाइसेन्स शुल्क	प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क
1	2	3	4
		प्रति वर्ष	प्रति वर्ष
1	चीनी मिल	50,000.00	50,000.00
2	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00	4,000.00
3	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00	4,000.00
4	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन	2,500.00	2,500.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	400.00	1,500.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	1,000.00	1,000.00
7	हस्त चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	200.00	500.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	300.00	500.00
9	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	2,500.00	3,000.00
10	एक्सपेलर	500.00	500.00
11	आरा मशीन	2,000.00	4,000.00
12	खराद मशीन	1,000.00	1,500.00
13	पावर लूम (प्रत्येक)	1,000.00	1,000.00
14	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	4,000.00	4,000.00

1	2	3	4
		प्रति वर्ष	प्रति वर्ष
15	सरिया बनाने का कारखाना	15,000.00	15,000.00
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	5,000.00	5,000.00
17	बर्फ बनाने का कारखाना (दो सौ सिल्ली तक)	2,000.00	3,000.00
18	बर्फ बनाने का कारखाना (उपर्युक्त से अधिक)	4,000.00	5,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	7,000.00	7,000.00
20	पेपर कोन बनाने का कारखाना	4,000.00	4,000.00
21	पेपर रोल बनाने का कारखाना	8,000.00	8,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता तक)	10,000.00	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	15,000.00	15,000.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	30,000.00	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	50,000.00	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	10,000.00	10,000.00
27	चिलिंग प्लांट	8,000.00	8,000.00
28	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2 इंच मोटाई तक)	25,000.00	25,000.00
29	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2 इंच मोटाई से अधिक)	50,000.00	50,000.00
30	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	7,000.00	7,000.00
31	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50,000 बैग तक)	10,000.00	10,000.00
32	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50,000 बैग से अधिक क्षमता पर)	15,000.00	15,000.00
33	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
34	हाटमिक्स प्लान्ट	10,000.00	10,000.00
35	रबड़ की वस्तुएं बनाने का कारखाना	2,000.00	2,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का छोटा कारखाना	2,000.00	4,000.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का बड़ा कारखाना	7,000.00	10,000.00
38	मसाले की ईट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	8,000.00	10,000.00
39	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशा, ताँबा व टीन आदि से वस्तुएं बनाना	4,000.00	4,000.00
40	वनस्पति/देशी घी या रिफाइण्ड आयल बनाने का कारखाना	15,000.00	15,000.00

1	2	3	4
		प्रति वर्ष	प्रति वर्ष
41	स्पिरिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	50,000.00	50,000.00
42	कृषि सम्बन्धी यंत्र बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
43	फर्टिलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	10,000.00	10,000.00
44	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
45	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
46	प्लास्टिक के पाइप, टैंक बनाने का कारखाना	7,000.00	10,000.00
47	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
48	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	2,000.00	3,000.00
49	कपड़ा कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	8,000.00	8,000.00
50	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	10,000.00	10,000.00
51	फ्लोर मिल	10,000.00	10,000.00
52	दाल मिल	5,000.00	7,000.00
53	राइस मिल	0.00	10,000.00
54	वेयर हाउस	0.00	10,000.00
55	गल्ले की आढ़त	0.00	5,000.00
56	रिईनफोर्स, सीमेन्ट कंक्रीट आदि के ह्यूम पाइप बनाने का कारखाना	10,000.00	10,000.00
57	टेलीविजन बनाने का कारखाना	10,000.00	10,000.00
58	माचिस बनाने का कारखाना	10,000.00	10,000.00
59	बटन बनाने का कारखाना	6,000.00	6,000.00
60	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	3,000.00	3,000.00
61	विनियर एण्ड शॉ मिल	7,000.00	7,000.00
62	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	50,000.00	50,000.00
63	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	15,000.00	15,000.00
64	साकिट बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
65	प्लाईवुड या माइका बनाने का कारखाना	10,000.00	10,000.00
66	दवाई बनाने का कारखाना	7,000.00	7,000.00
67	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	3,000.00	5,000.00
68	लैमिनेशन का कारखाना	5,000.00	5,000.00

1	2	3	4
		प्रति वर्ष	प्रति वर्ष
69	दूध पैकेजिंग का कारखाना	6,000.00	7,000.00
70	केमिकल बनाने का कारखाना	8,000.00	10,000.00
71	गैस आदि बनाने का कारखाना	5,000.00	10,000.00
72	गैस के सिलेण्डर का कारखाना	8,000.00	10,000.00
73	वेल्डिंग राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00	6,000.00
74	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00	6,000.00
75	ढलाई करने का कारखाना	6,000.00	6,000.00
76	स्टील अलमीरा, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	6,000.00	10,000.00
77	पशु अहार बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
78	धागा बनाने का कारखाना	4,000.00	4,000.00
79	धागा डबलिंग का कारखाना	7,000.00	7,000.00
80	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	7,000.00	7,000.00
81	साबुन बनाने का कारखाना	2,000.00	5,000.00
82	डिटर्जेंट बनाने का कारखाना	7,000.00	7,000.00
83	पट्टा बनाने का कारखाना	3,000.00	3,000.00
84	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	7,000.00	7,000.00
85	रबड़ के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना	15,000.00	15,000.00
86	टायर रिट्रेडिंग	4,000.00	4,000.00
87	तिरपाल बनाने का कारखाना	10,000.00	10,000.00
88	आतिशबाजी संबंधी सामान बनाने का कारखाना	10,000.00	10,000.00
89	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
90	चार पहिया वाहन बनाने का कारखाना	10,000.00	10,000.00
91	दो पहिया वाहन बनाने का कारखाना	50,000.00	50,000.00
92	तार बनाने का कारखाना	15,000.00	15,000.00
93	तार की जाली बनाने का कारखाना	3,500.00	3,500.00
94	लालटेन बनाने का कारखाना	3,000.00	3,000.00
95	रंगमाल बनाने का कारखाना	4,000.00	4,000.00
96	बैट्री बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
97	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
98	रंग बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00

1	2	3	4
		प्रति वर्ष	प्रति वर्ष
99	गम टेप बनाने का कारखाना	4,000.00	4,000.00
100	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
101	निकिल पॉलिश (प्लेटिंग) करने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
102	रांगा बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
103	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
104	हड्डी मिल	25,000.00	25,000.00
105	सरेश मिल	5,000.00	5,000.00
106	पेट्रोल मिल	4,000.00	10,000.00
107	डीजल मिल	5,000.00	10,000.00
108	गैस बाटलिंग प्लांट	25,000.00	25,000.00
109	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	2,000.00	5,000.00
110	प्रिन्टिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	2,500.00	5,000.00
111	सिनेमा हाल	4,000.00	10,000.00
112	विडियो सिनेमा हाल	2,500.00	3,000.00
113	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री	3,000.00	3,000.00
114	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	10,000.00	10,000.00
115	रेडीमेड गारमेण्ट्स का कारखाना	15,000.00	15,000.00
116	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	15,000.00	15,000.00
117	स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लांट	1,00,000.00	1,00,000.00
118	ट्रान्सफार्मर फैक्ट्री	20,000.00	20,000.00
119	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	15,000.00	15,000.00
120	एयर कण्डीशनर बनाने का कारखाना	10,000.00	10,000.00
121	जूट सन व नायलान बनाने का कारखाना	5,000.00	5,000.00
122	शीशा बनाने का कारखाना	3,000.00	3,000.00
123	पिपरमिण्ट बनाने का कारखाना	2,000.00	5,000.00
124	चमड़ा टेनरी बनाने का कारखाना	25,000.00	25,000.00
125	जैविक कारखाना	5,000.00	5,000.00
126	फिक्स चिमनी ईट भट्टा (01 अक्टूबर के बाद विलम्ब शुल्क रु0 500.00 प्रतिगाह) (20 पाये तक)	10,000.00	10,000.00

1	2	3	4
		प्रति वर्ष	प्रति वर्ष
127	फिक्स चिमनी ईट भट्टा (01 अक्टूबर के बाद विलम्ब शुल्क रु0 500.00 प्रतिमाह) (20 पाये से अधिक)	15,000.00	15,000.00
128	स्टोन क्रशर	15,000.00	15,000.00
129	कपड़े की दुकान	250.00	500.00
130	रेडीमेड कपड़े, होजरी तथा अन्य कपड़े की बड़ी दुकान	500.00	1,000.00
131	किराना या परचून दुकान	125.00	500.00
132	गल्ला किराना की बड़ी दुकान	250.00	1,000.00
133	अलमारी एवं बक्सा बिक्री दुकान	250.00	500.00
134	स्टील का ग़्रिल व बेड इत्यादि के निर्माण की दुकान	250.00	5,000.00
135	कपड़ा परचून की सम्मिलित दुकान	150.00	700.00
136	गल्ला थोक या कपड़ा की बड़ी दुकान	200.00	1,000.00
137	विसातखाना या परचून की सम्मिलित दुकान	150.00	500.00
138	प्रबंधकीय विद्यालय (नर्सरी से कक्षा 5 तक)	0.00	10,000.00
139	प्रबंधकीय विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल/मा0वि0)	0.00	20,000.00
140	उच्च शिक्षा प्रबंधकीय विद्यालय	0.00	30,000.00
141	तकनीकी संस्था/प्रशिक्षण संस्था/डिप्लोमा/डिग्री	0.00	30,000.00
142	विसातखाना या परचून की सम्मिलित दुकान बड़ी	150.00	1,000.00
143	केवल विसातखाना (बिस्कुट व टाफी) कान्फेशनरी	150.00	500.00
144	प्रत्येक होटल या बड़ा ढाबा	0.00	2,000.00
145	केवल चाय या केवल पान	100.00	500.00
146	सीमेन्ट की नाद अथवा जाली बनाने व बेचने की दुकान	175.00	700.00
147	छोटे ढाबे व चाय हलवाई की सम्मिलित दुकान	150.00	1,000.00
148	पान मसाले या तम्बाकू की दुकान	100.00	500.00
149	पान मसाला या तम्बाकू का थोक व्यवसाय	0.00	1,000.00
150	शरबत लस्सी या कोल्ड ड्रिक्स की दुकान	100.00	1,000.00
151	घी, दूध, मक्खन, वनस्पति, सरसों व अन्य तेल की बड़ी दुकान	250.00	1,000.00
152	फल व सब्जी की सम्मिलित बड़ी दुकान	200.00	700.00
153	सब्जी की दुकान छोटी/फल की दुकान	150.00	500.00
154	पुस्तक कॉपिया स्टेशनरी की बड़ी दुकान	0.00	1000.00
155	पुस्तक कॉपिया स्टेशनरी की छोटी दुकान	100.00	500.00

1	2	3	4
		प्रति वर्ष	प्रति वर्ष
156	विडियोग्राफी एवं फोटो खींचने की दुकान	125.00	500.00
157	सौन्दर्य प्रसाधन की दुकान	100.00	500.00
158	ब्यूटी पार्लर	0.00	500.00
159	टाइपराइटर या इससे संबंधित दुकान	0.00	500.00
160	जूते के अलावा चमड़े से बने सामान, स्पंज के गद्दे तकिये आदि की दुकान	0.00	1,000.00
161	रुई धुनने की मशीन या रुई के बने गद्दे तकिये आदि की दुकान	100.00	500.00
162	फोटो कलर लैब की दुकान	0.00	1,000.00
163	मेडिकल स्टोर	250.00	1,000.00
164	मेडिकल एजेन्सी	0.00	2,500.00
165	मेडिकल स्टोर एवं जनरल स्टोर की सम्मिलित दुकान	0.00	1,200.00
166	रासायनिक वस्तुएं या आयुर्वेदिक औषधियों तथा दवाओं की दूकान	0.00	1,000.00
167	केवल सोनारी आभूषण मरम्मत की दुकान	250.00	1,000.00
168	सोने चाँदी आभूषण की दुकान	500.00	1,500.00
169	जूते बनाने की दुकान	150.00	500.00
170	जूता बेचने की दुकान	150.00	700.00
171	कपड़ा सिलाई की दुकान	100.00	500.00
172	हेयर सैलून की स्थाई दुकान	100.00	700.00
173	फर्नीचर की दुकान	0.00	1,000.00
174	खेल के सामान (हाकी, फुटबाल, क्रिकेट, टेनिस आदि के सामान)	0.00	700.00
175	लोहे के बने सामानों या लोहे की दुकान (छोटी)	200.00	700.00
176	लोहे की बड़ी दुकान (कृषि यन्त्र सहित)	375.00	1,500.00
177	इमारती लकड़ी या रेडीमेड फर्नीचर की दुकान	250.00	1,000.00
178	ईंधन जलाने वाले कोयला की दुकान	150.00	500.00
179	डीजल मोबिल की फुटकर दुकान	250.00	500.00
180	बालू, सीमेन्ट, मोरम की दुकान	250.00	1000.00
181	सरिया, सीमेन्ट, गिट्टी, मोरम की बड़ी दूकान	0.00	2,500.00
182	वार्निश पेण्ट आदि बेचने की दुकान	250.00	700.00
183	भवन निर्माण से सम्बन्धित अन्य समान जैसे एंगल, दरवाजा, खिड़की, पत्थर की पटिया आदि की सम्मिलित दुकान	0.00	1,000.00

1	2	3	4
		प्रति वर्ष	प्रति वर्ष
184	बर्तन की दुकान (लोहे या एल्युमिनियम)	175.00	500.00
185	पीतल, ताँबा आदि की दुकान	0.00	500.00
186	स्टील के बर्तन की दुकान	0.00	500.00
187	साइकिल या उसके पार्ट्स बेचने की दुकान	250.00	700.00
188	टायर ट्यूब के मरम्मत की दुकान	100.00	500.00
189	मोटर, बस, ट्रक, कार आदि के मरम्मत की दुकान	100.00	1,000.00
190	आटो स्पेयर की दुकान	250.00	700.00
191	मोटर साइकिल मरम्मत की दुकान	100.00	700.00
192	मशीन, बेल्डिंग, ड्रिलिंग की दुकान	250.00	500.00
193	रसायनिक खाद की दुकान	200.00	1,000.00
194	कृषि बीज एवं कृषि की दवाइयों की दुकान	250.00	1,000.00
195	बीज एवं खाद गोदाम	0.00	2,000.00
196	कृषि सम्बन्धी मशीनरी या औजार की दुकान	0.00	1,000.00
197	पम्पिंग सेट व डीजल इंजन की दुकान	500.00	1,000.00
198	पम्पिंग सेट व इंजन पार्ट की दुकान/नल बोरिंग	0.00	1,000.00
199	घड़ी रेडियो, टेप रिकार्डर, टीवी आदि मरम्मत की दुकान	100.00	500.00
200	घड़ी, रेडियो, टेप रिकार्डर टीवी/बिजली के सामान बेचने की दुकान	250.00	1,000.00
201	इलेक्ट्रानिक्स, टीवी फ्रीज, वाशिंग मशीन, ए0सी0 आदि घरेलू उपयोग के दुकान	0.00	1,500.00
202	भूसा, खरी/पशुआहार की दुकान	0.00	500.00
203	टेण्ट हाउस छोटा	200.00	1,000.00
204	टेण्ड हाउस बड़ा	0.00	2,000.00
205	वस्त्र रंगाई छपाई की दुकान	150.00	1,000.00
206	कबाड़ी व्यवसाय	150.00	1,000.00
207	विडियो फिल्म या इसके प्रदर्शन का व्यवसाय	0.00	3,000.00
208	विडियो फिल्म या आडियो कैसेट की दुकान	0.00	1,000.00
209	संगीत या सजावट/डी0जे0 सम्बंधी उपकरण की दुकान	0.00	1,500.00
210	सीमेण्ट से पौधे लगाने वाले गमले का व्यवसाय	0.00	500.00
211	भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले (रंग, पेण्ट, एंगल दरवाजा, खिड़की व सेनेटरी सामान बनाने का कारखाना	0.00	10,000.00

1	2	3	4
		प्रति वर्ष	प्रति वर्ष
212	पोल्ट्री फार्म	500.00	2,000.00
213	कार्बन या कार्बन पेपर बनाने का कारखाना	0.00	2,000.00
214	बेकरी बिस्कुट डबलरोटी बनाने का कारखाना छोटा	500.00	2,000.00
215	चीनी या खाण्डसारी के उत्पादन का व्यवसाय	0.00	1,000.00
216	खोया उत्पादक	175.00	1,000.00
217	ट्रान्सपोर्ट का व्यवसाय	0.00	10,000.00
218	प्रॉपर्टी डीलर व एजेन्ट	0.00	10,000.00
219	सिगरेट बीड़ी बनाने का कारखाना	0.00	2,000.00
220	गोदाम छोटा (100 कुन्तल से कम क्षमता)	200.00	1,000.00
221	गोदाम बड़ा (100 कुन्तल से अधिक क्षमता)	500.00	2,000.00
222	तकनीकी विज्ञान के सामान का कारखाना	0.00	2,000.00
223	रेस्टोरेंट/भोजनालय	0.00	5,000.00
224	हास्टल लाजिंग गेस्ट हाउस (10 शैया तक)	0.00	5,000.00
225	हास्टल लाजिंग गेस्ट हाउस (10 शैया से अधिक)	0.00	10,000.00
226	क्लीनिक (बिना बेड के)	0.00	2,000.00
227	नर्सिंग होम (10 बेड तक)	0.00	10,000.00
228	नर्सिंग होम (10 बेड से ऊपर)	0.00	15,000.00
229	प्रसूति गृह (10 बेड तक)	0.00	10,000.00
230	पैथालॉजी	0.00	2,000.00
231	डेंटल क्लीनिक	0.00	2,000.00
232	आई क्लीनिक	0.00	2,000.00
233	एक्स-रे या अल्ट्रासाउण्ड	0.00	5,000.00
234	मोटर साइकिल/स्कूटर बिक्री एजेन्सी	1,500.00	5,000.00
235	मोटर कार बिक्री एजेन्सी	0.00	20,000.00
236	आटो रिक्सा बिक्री एजेन्सी	0.00	5,000.00
237	ट्रैक्टर बिक्री एजेन्सी	0.00	10,000.00
238	ई-रिक्सा बिक्री एजेन्सी	0.00	2,000.00
239	मोटर गैरेज	0.00	2,000.00
240	आइसक्रीम फैक्ट्री	1,500.00	2,500.00
241	कैटरिंग सर्विस	0.00	2,000.00

1	2	3	4
		प्रति वर्ष	प्रति वर्ष
242	आर्किटेक्ट/कंसल्टेन्ट/चार्टर्ड एकाउटेन्ट	0.00	10,000.00
243	फाईनेन्स एण्ड चिट फण्ड	0.00	5000.00
244	तेल मिल	0.00	5000.00
245	तेल कोल्हू स्पेलर (रु० 10 प्रतिमाह बिलम्ब शुल्क)	100.00	500.00
246	आटा चक्की (रु० 10 प्रतिमाह बिलम्ब शुल्क)	100.00	500.00
247	धान मशीन या पालेशर (रु० 10 प्रतिमाह बिलम्ब शुल्क)	500.00	700.00
248	राइस प्लांट ट्रैक्टर संचालित (रु० 100 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क)	1000.00	3000.00
249	कालोनाइजर या बिल्डर्स	0.00	25000.00
250	कम्प्यूटर बेचने की दुकान	0.00	5000.00
251	मोबाइल शाप या मरम्मत की दुकान	250.00	1000.00
252	चश्मा आप्टिकल दुकान	0.00	700.00
253	नमकीन व पेठा बनाने का कारखाना	0.00	2000.00
254	ठेका देशी शराब की दुकान	1000.00	3500.00
255	ठेका अंग्रेजी शराब की दुकान	1000.00	3500.00
256	ठेका बियर की दुकान	1000.00	2500.00
257	भांग की दुकान	0.00	2000.00
258	धर्मकाँटा	500.00	2500.00
259	मॉस बिक्रेता (मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, मछली, सुअर) की दुकान (एन०ओ०सी० शुल्क)	250.00	2000.00
260	बड़े पशुओं के मॉस बिक्रेता (गौवंश को छोड़कर) (एन०ओ०सी० शुल्क)	0.00	5000.00
261	इण्टर लाकिंग टाइल निर्माण उद्योग या कारखाना	1500.00	5000.00
262	ट्रक, बस की बाड़ी मरम्मत कारखाना	0.00	10,000.00
263	टोल प्लाजा	0.00	50,000.00
264	गैस एजेन्सी	1000.00	5000.00
265	मैरिज हाल/लान	0.00	5000.00
266	पेट्रोल या डीजल पम्प	2500.00	10,000.00
267	पेट्रोल या डीजल सहित सी०एन०जी० पम्प	0.00	15000.00
268	सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	250.00	1000.00
269	पानी से बर्फ कुल्फी बनाने का कारखाना	0.00	2000.00
270	अन्य प्रकार के दुकान/व्यवसाय जो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं है।	150.00	1000.00
271	अन्य प्रकार के कारखाने जो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं है/बड़े व्यवसाय	0.00	2000.00

क्रम सं०	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क
1	2	3
		प्रतिवर्ष—
1	सूक्ष्म/कुटीर उद्योग (माइक्रो) (लागत पचीस लाख तक)	1,000.00 से 5,000.00 तक
2	लघु उद्योग (लागत पचीस लाख से 5 करोड़ तक)	6,000.00 से 20,000.00 तक
3	मध्यम उद्योग (लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक)	21,000.00 से 50,000.00 तक
4	भारी उद्योग (लागत 10 करोड़ से अधिक)	51,000.00 से 1,00,000.00 तक

लाइसेन्स की दर प्रत्येक तीन वर्ष पर 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ निर्धारित की जाएगी, जिसकी स्वीकृति जिला पंचायत, श्रावस्ती में निहित होगी। कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि, कोई ऐसी सूचना नहीं देंगे जो असत्य हो या इन उपविधियों से सम्बन्धित कोई ऐसी सूचना जिसे अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी तथा जिला पंचायत का कोई अन्य कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति इस कार्य के लिए की गयी हो, माँगे तो देने से इन्कार नहीं करेंगे।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 संशोधित अधिनियम 1994 की धारा 240 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, श्रावस्ती निर्देश देती है कि उपर्युक्त उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता का दोष सिद्ध होने पर उसे रुपए 1,000.00 (एक हजार रुपए) तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है तथा दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा हो, रुपए 50.00 (पचास रुपए) प्रतिदिन की दर से अर्थ दण्ड वसूल किया जा सकता है और अर्थ दण्ड न जमा करने पर विधिक कार्यवाही कर तीन माह के कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

शशि भूषण लाल सुशील,
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

जिला पंचायत, झांसी

22 अप्रैल, 2026 ई0

मानक खनिज परिवहन शुल्क उपविधि (2025)

सं० 693/23 एल०बी०ए०-08(2026-27)—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-142 एवं 143 के साथ पठित धारा-239 के अधीन दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत झांसी द्वारा जनपद झांसी अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा—पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिका सैंड, कोर्ससैंड, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा टैक्टर-ट्रॉली, मिनी ट्रक, डम्पर, पशु गाडी या मानव चालित नौका या यांत्रिक नौका को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि बनायी है, जिसकी पुष्टि आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) में दी गयी शक्ति का प्रयोग कर की गयी है, जोकि राज पत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

उपविधियाँ

1— यह उपविधि, जिला पंचायत झांसी अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्मी, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी आदि को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक/डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका या यान्त्रिक नौका को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधि कही जायेगी।

2—परिभाषाएं (इन उपविधियों में)–

2.1 अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) से है।

2.2 जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा-17 (1) के अनुसार संगठित जिला पंचायत, झांसी से है।

2.3 ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य अधिनियम की धारा-2 (10) में परिभाषित, ग्राम्य क्षेत्र से है।

2.4 अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष जिला पंचायत, झांसी से है।

2.5 अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य जिला पंचायत, झांसी के अपर मुख्य अधिकारी से है।

2.6 सार्वजनिक मार्ग का तात्पर्य उस सड़क, पुल, सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है, जिस पर होकर आने-जाने का जन-साधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत भी है, में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो, से है।

2.7 नदी मार्ग का तात्पर्य प्राकृतिक नदी का आवागमन के लिये प्रयोग से है।

2.8 पशु गाड़ी का तात्पर्य बैल या भैसा या ऊंट या घोड़ा या खच्चर द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों से है।

2.9 स्थान का तात्पर्य उस स्थल से है जो कि किसी खनिज उद्गम स्रोत, खदान (क्वेरीज), सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग पर शुल्क वसूली हेतु सुविधानुसार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत झांसी द्वारा नियत किया जाय।

2.10 शुल्क का तात्पर्य इस उपविधि के लिए निम्न प्रकार से है—

(i) यदि जिला पंचायत, झांसी इन उपविधियों की उपविधि संख्या-5 के अनुसार दिये गये शुल्क वसूली के विकल्प में शुल्क वसूली विभागीय प्रकार यानि जिला पंचायत, झांसी में नियुक्त कर्मचारियों/कार्मिकों द्वारा किये जाने का निर्णय लेती है तो शुल्क का तात्पर्य उपविधि संख्या-6 के खण्डों में समय-समय पर वर्णित एवं निर्धारित शुल्क से है।

2.11 खनिज उद्गम स्थल से तात्पर्य बालू, मौरंग, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड-समस्त खनिज पट्टे जनपद झांसी एवं पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, भस्मी एवं अन्य खनिज उत्खनन स्थल से है।

2.12 मण्डलायुक्त का तात्पर्य राजस्व संहिता के अध्याय-तीन (परिषद और राजस्व अधिकारी) की धारा-11 के अधीन उस मण्डल (डिवीजन) के लिये नियुक्त आयुक्त (कमिश्नर) से है, जिसके भीतर जिला पंचायत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो।

3—यह उपविधियाँ ग्रामीण क्षेत्र के पर्वतीय स्थलों, खदानों तथा नदियों या उसके तट, नालों, पोखरों, क्वेरीज (खदान) आदि से निकलने वाले खनिजों को लेने, एकत्रित करने या व्यावसायिक दृष्टि से सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों या मालिकों पर लागू होगी।

4—कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था आदि जनपद झांसी के ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा—पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी इत्यादि को एकत्रित करने या श्रमिकों द्वारा एकत्रित कराकर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन या ट्रैक्टर—ट्रॉली, ट्रक, डम्पर, बैल गाड़ी, ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी या मानव या यन्त्र चालित नौका से परिवहन करेगा तो उसको यथा स्थिति उपविधि संख्या—2.10 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित शुल्क अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, झांसी द्वारा निर्धारित स्थल पर जिला पंचायत झांसी द्वारा नियुक्त कार्मिक अथवा ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कार्मिक को अदा करना होगा।

5—जिला पंचायत शुल्क वसूली अपने कर्मचारियों द्वारा या ठेकेदार द्वारा करा सकती है। शुल्क वसूली ठेका अनिवार्यतः 01 वर्षीय होगा। ठेके की अवधि सामान्यतः वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक होगी।

6—जिला पंचायत झांसी द्वारा लिये जाने वाले खनिज परिवहन शुल्क की दरें निम्नवत होंगी।

1— पशुओं द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी	— 20 रु० प्रति फेरी।
2— मानव चालित नाव	— 40 रु० प्रति फेरी।
3— मशीन/मोटर चालित नाव	— 115 रु० प्रति फेरी।
4— ट्रैक्टर ट्रॉली (2 पहिया ट्रॉली)	— 115 रु० प्रति फेरी।
5— ट्रैक्टर ट्रॉली (4 पहिया ट्रॉली या अधिक)	— 150 रु० प्रति फेरी।
6— ट्रक: वाहन का प्रकार—	
(i) ट्रक (लाइट गुड्स व्हीकल्स 6 चक्का तक)	— 350 रु० प्रति फेरी।
(ii) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 10 चक्का)	— 500 रु० प्रति फेरी।
(iii) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 12 चक्का)	— 500 रु० प्रति फेरी।
(iv) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 14 चक्का)	— 500 रु० प्रति फेरी।
(v) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 16 चक्का)	— 500 रु० प्रति फेरी।
(vi) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 18 चक्का)	— 600 रु० प्रति फेरी।
(vii) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 22 चक्का या अधिक)	— 600 रु० प्रति फेरी।

7— उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रत्येक 3 वर्ष के अन्तराल पर की जायेगी। बढ़ोतरी की गणना करने पर जो धनराशि आयेगी उसे दहाई के पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जायेगा। यह बढ़ी दरें अगले वित्तीय वर्ष/उस नीलामी अवधि हेतु उपयोग होंगी, जिसके नीलामी में बढ़ी दरों के आधार पर नीलामी के रिजर्व मूल्य में आवश्यक वित्तीय प्रभाव जोड़ा जायेगा। 03 वर्षों के कार्यकाल की गणना इन उपविधियों के गजट प्रकाशन की जगह उनके प्रभावी होने की तिथि के प्रारम्भ से 03 वर्ष तक की जायेगी।

8— (क) यदि खनिज परिवहन शुल्क वसूली का ठेका दिया जाना है तो ई—आक्शन पोर्टल के माध्यम से नीलामी पद्धति से दिया जायेगा, जिसका प्रचार राष्ट्रीय स्तर के दो प्रचलित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों के प्रादेशिक संस्करण में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किया जायेगा तथा यह सूचना जनपद या राज्य सरकार या जिला पंचायत की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी।

(ख) जिला पंचायत द्वारा खनिज परिवहन की नीलामी प्रक्रिया से पूर्व बकायेदारों की सूची जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चरप्पा की जायेगी, साथ ही ई-आक्शन के नोटिस के साथ सम्बन्धित ई-आक्शन पोर्टल तथा जनपद के एनआईसी पोर्टल पर भी अनिवार्यतः अपलोड की जायेगी। बकायेदार को यह अधिकार होगा कि वह नीलामी की तिथि के पूर्व तक पूर्ण धनराशि जमा कर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकें। बकायेदारों की सूची जनपद के दो सर्वाधिक प्रचलन के अखबार में प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा।

9- ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले ई-नीलामीदाता (व्यक्ति/फर्म/जे०वी०) द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (टी4) एवं निम्नानुसार रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य हैसियत से सम्बन्धित निम्नवत् अभिलेख दिया जा सकेगा-

(क) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र (टी5)

अथवा

(ख) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी जिला पंचायत के पक्ष में बैंक गारन्टी पत्र।

अथवा

(ग) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य पोस्ट आफिस जारी एन०एस०सी०/के०वी०पी० जो जिला पंचायत के पक्ष में बन्धक हो।

अथवा

(घ) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी एफ०डी०आर० जो जिला पंचायत के पक्ष में बन्धक हो।

10- सर्वोच्च नीलामीदाता द्वारा निम्नानुसार धनराशि अनुबन्ध करने हेतु प्रथम किस्त के रूप में जमा की जानी है-

(क) स्वीकृत बोली की धनराशि रु0 01 करोड़ तक होने पर अनुबन्ध हेतु बोली की सम्पूर्ण धनराशि ई०एम०डी० को समायोजित करते हुए।

(ख) स्वीकृत बोली की धनराशि रु0 01 करोड़ से ऊपर होने पर अनुबन्ध हेतु रु0 01 करोड़ + 01 करोड़ से ऊपर की धनराशि का 25 प्रतिशत।

(ग) स्वीकृत बोली की धनराशि का 05 प्रतिशत जमानत धनराशि के रूप में जिला पंचायत, झांसी में ठेकेदार को अनुबन्ध के समय जमा करना होगा, जो ठेकेदार द्वारा पूरे वर्ष संतोषजनक कार्य करने के उपरान्त 15 दिवस के अन्दर ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी। शेष बोली धनराशि दो बराबर किस्तों में प्रथम किस्त 30 जून तक एवं द्वितीय किस्त 30 सितम्बर तक जमा करना अनिवार्य होगा। (ई०एम०डी० समायोजित करते हुए अन्तिम किस्त के रूप में) अन्तिम निर्धारित तिथियों तक किस्त जमा न करने पर ठेका निरस्त कर पूर्व में जमा धनराशियां जब्त हो जायेंगी एवं पुनः ठेका छोड़ने में यदि जिला पंचायत को कोई क्षति होती है तो उसकी वसूली ठेकेदार (ठेका छोड़ने वाले व्यक्ति) से की जायेगी। यदि ठेकेदार द्वारा नियत समय प्रदान करने के उपरान्त बकाया धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो जिला पंचायत उस धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल कर सकती है।

11- ठेकेदार को ठेका स्वीकृत होने पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।

12— जिला पंचायत, झांसी के अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा अधिकृत कार्मिक/ठेकेदार द्वारा शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त शुल्कदाता को जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी मुद्रित एवं क्रमांक युक्त सह हस्ताक्षरित रसीद देना अनिवार्य होगा। रसीद के प्रतिपण को जिला पंचायत में वापस करना अनिवार्य होगा।

13— ठेकेदार वसूली स्थल पर (सहज दृश्य स्थान पर) एक 8 x 4 का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा।

14— इस रेट बोर्ड में वसूली स्थल का नाम, ठेकेदार का नाम व पता, ठेके की अवधि एवं ठेकेदार का मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

15— ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिकों को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी कराया जायेगा, जो कि उन कार्मिकों को प्रदर्शित करना होगा। शुल्क वसूली में लगाये कार्मिकों की सूची अपर मुख्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी।

16— शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर दिये जाने की दशा में ठेकेदार को रसीद बही रखनी होगी, जिसको जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मांगे जाने पर दिखाया जाना अनिवार्य होगा।

17— ठेके की नीलामी एक 03 सदस्यीय नीलाम समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी या अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता या जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य होंगे।

18— ठेका स्वीकार करने का अधिकार नीलाम समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत को होगा। यदि किसी प्रकरण में नीलाम समिति की संस्तुति एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत में मत-भिन्नता है या नीलाम समिति की संस्तुति के प्राप्त होने के 1 सप्ताह में निस्तारण नहीं होता है तो प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को संदर्भित कर दिया जायेगा, जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

19— ठेके की अवधि में ठेके की शर्तों एवं उपविधि के अनुपालन की जांच जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी एवं कर/राजस्व निरीक्षक द्वारा की जा सकेगी। जांच में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा तथा संतोषजनक स्पष्टीकरण न होने पर नीलाम समिति की संस्तुति पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी तथा अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, जिला पंचायत का होगा, जो कि उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

20—(क) गम्भीर अनियमितताओं की स्थिति में ठेका निरस्त किये जाने पर जमा धनराशि जब्त की जायेगी एवं पुनः ठेके किये जाने पर यदि जिला पंचायत को आर्थिक कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

(ख) जिला पंचायत के किसी आदेश/खनन/परिवहन उपविधि/शासनादेशों/शर्तनामों/नीलामी की धनराशि जमा करने में किसी धारा का उल्लंघन करने की दशा में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत घटना/समय की तिथि पर अविलम्ब लिखित नोटिस रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल/फोन/वाट्सअप के माध्यम से देगा, जिस पर ई-मेल जारी/प्राप्त किये जाने से 07 दिवस में उत्तर देना अनिवार्य होगा। जिस पर जिला पंचायत को 03 कार्य दिवसों में निर्णय लेना होगा। संतोषजनक उत्तर न होने पर लिखित आदेश द्वारा ठेका अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जो दोनों पक्षों को मान्य होगी।

21— वसूलीकर्ता द्वारा उद्गम स्थलों से ही बिना बैरियर लगाये शुल्क की वसूली की जायेगी। वसूली स्थल उद्गम स्थल/नदी मार्ग पर ऐसे स्थान पर नियत किये जायेंगे, जहाँ पर कि यातायात अवरुद्ध न हो। खनिज उद्गम स्थल का अर्थ बालू/मौरंग/सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड—समस्त स्वीकृत खनिज पट्टे जनपद झांसी एवं पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी/भस्सी एवं अन्य खनिज उत्खनन स्थल से है। इस हेतु राष्ट्रीय

राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग अथवा किसी भी प्रकार के मार्ग पर बैरियर, रस्सी लगाकर अथवा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर इन मार्गों पर वसूली नहीं की जायेगी।

22— वसूली स्थल पर ठेकेदार को पर्याप्त सफाई, पेयजल, रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

23— इन उपविधियों के अनुसार बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, वजरी, भस्सी, सिलिका सैण्ड, कोर्स सैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी के अभिवहन/परिवहन के समय वाहन मालिक/वाहन चालक/पशुगाड़ी/नाव चालक के द्वारा शुल्क न देने या जांच के समय प्रमाण स्वरूप शुल्क की रसीद न दिखाने पर ऐसा समझा जायेगा कि नियत खनिज परिवहन शुल्क की अदायगी नहीं की गयी है और ऐसे व्यक्ति से वसूली हेतु नियत अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा कार्मिक ठेकेदार की आख्या पर चालान की कार्यवाही की जायेगी।

24— जिला पंचायत झांसी को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुयी आय का 15 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग को एवं 5 प्रतिशत पर्यावरण सम्बन्धी कार्यों हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित करना अनिवार्य होगा। एतदर्थ सम्बन्धित विभाग अपनी कार्य योजना जिला पंचायत, झांसी को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में करते हुए कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

दंड

जिला पंचायत, झांसी उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 (यथासंशोधित) की धारा-240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है, कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म/जे०वी० या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रु०-1000/- (रु० एक हजार) तक हो सकेगा, और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रु० 50/- (रु० पचास) तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा, जो 03 मास तक का हो सकेगा।

निरसन

माडल उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेगी।

आयुक्त,
झांसी मण्डल, झांसी।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 अप्रैल, 2026 ई० (वैशाख 5, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय नगर पालिका परिषद, जालौन

14 जनवरी, 2026 ई०

सं० 1607/एफ०एस०एस०एम०/उपविधि/2026--नगर पालिका परिषद जालौन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 एवं उसमें दी गयी उपधाराओं तथा शासन समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अन्तर्गत घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिए फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 2025 बनाई गयी हैं। जिसे नगर पालिका परिषद जालौन की बोर्ड बैठक दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 को प्रस्ताव संख्या 5 द्वारा स्वीकृत किया गया है। यह आवश्यक सूचना नगर पालिका अधिनियम 2016 की धारा (3) की उपधारा (3) के अन्तर्गत दैनिक राष्ट्रीय सहारा कानपुर के अंक दिनांक 20 नवम्बर, 2025 एवं दैनिक अग्निचरण उरई के अंक दिनांक 20 नवम्बर, 2025 के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया था। निर्धारित समय के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

1— संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

1— यह उपविधि नगर पालिका परिषद जालौन के ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अन्तर्गत घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामला हेतु फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) सफाई कर उपविधि, 2025 के नाम से जानी जायेगी।

2— “नगर पालिका परिषद” का तात्पर्य कार्यालय नगर पालिका परिषद, जालौन से है।

3— “अधिकासी अधिकारी” का तात्पर्य नगर पालिका परिषद जालौन के अधिकासी अधिकारी से है।

4— “प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पालिका परिषद जालौन के प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष से है।

5— “प्रशासक/बोर्ड” का तात्पर्य नगर पालिका परिषद जालौन के प्रशासक/निर्वाचित बोर्ड से है।

6— “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

7— उपविधि पर नगर पालिका अधिनियम 1916 के अध्याय 5 में विहित प्राविधान एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों के साथ-साथ समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत नियम एवं दिशा-निर्देश पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से प्रभावी होंगे।

8— “भवनस्वामी” शब्द का आशय उस व्यक्ति से है जो भवन/भूमि का वैधानिक स्वामी है। ऐसा व्यक्ति उस भवन का स्वयं अध्यासी भी हो सकता है।

9— “अध्यासी” शब्द का अभिप्राय उस व्यक्ति से है, जो वर्तमान में उस भवन/भूमि पर निवास कर रहा है। ऐसा व्यक्ति भवनस्वामी भी हो सकता है।

10— सफाई-कर, शुल्क, प्रशुल्क आदि से सम्बन्धित उपबन्ध अधीन प्रस्तावित किसी भी नियम/अदायगी के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद एवं कर-दाता के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके निस्तारण में अधिकासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद का निर्णय मान्य होगा।

11— किसी भी वाद का न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद जालौन होगा।

12— इस उपविधि के अन्तर्गत दण्ड स्वरूप लगाये गये किसी भी धनराशि पर अधिकतम छूट 15 प्रतिशत से अधिक अधिकासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा नहीं किया जायेगा।

क्षेत्र (स्कोप)

यह उपविधि नगर पालिका परिषद जालौन, की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या नगर पालिका परिषद जालौन, भवनों पर लागू होगा।

अध्याय-1**प्रारंभिक****2— परिभाषा—**

i— “फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)” का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुसार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र,

ii— “को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी” का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फीकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो,

iii- "ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)" ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस-पास के भूखंड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भूखंड पर स्वच्छता 'घरेलू शौचालय' के समान है, लेकिन इसमें एक ही भूखंड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाएं हो सकती हैं,

iv- "ऑपरेटर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है,

v- "शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2-3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

vi- "सेप्टेज" का अर्थ है अच्छी तरह डिजाइन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज।

vii- "सीवेज उपचार संयंत्र" का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

अध्याय-II

अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

3-परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण-

निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें मौजूदा या प्रस्तावित, आवासीय और व्यावसायिक और अन्य शामिल हैं तथा इसी तक सीमित नहीं हैं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्,

i- यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा करे।

ii- अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

iii- यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाए, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्विन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट-1)।

iv- वे परिपत्तियाँ जिनके परिसर के भीतर 2000 वर्ग मीटर से अधिक खुला क्षेत्र है, तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाए ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/प्लशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

अध्याय-III

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ-

4- ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव-

i- ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, या इसके समय समय पर किए गए संशोधित प्रावधान अथवा नगर पालिका परिषद जालौन, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

ii— ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रखरखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।

iii— परिसर का मालिक नगर पालिका परिषद जालौन, द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।

iv— परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

v— परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद जालौन, के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

अध्याय-IV

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण—

5— निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस—

i— नगर पालिका परिषद जालौन, वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गये वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

ii— नगर पालिका परिषद जालौन, अपने कर्मियों सहित ओपरेटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जाएगा।

iii— जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

iv— नगर पालिका परिषद जालौन, ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।

v— इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

6— लाइसेंस जारी करने की शर्तें

i— लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र-आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के अनुसार परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।

ii— आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराए पर लेना चाहिए।

iii— जालौन में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाणपत्र होगा।

iv— आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पालिका परिषद जालौन, के साथ पंजीकृत करेगा।

v- आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर इन विनियमों में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।

vi- आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पालिका परिषद जालौन, या उसके द्वारा किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

vii- आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जाएगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपविधि के अनुसार होगा।

7- लाइसेंस के लिए आवेदन-

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर पालिका परिषद जालौन, द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटान का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा।

8- लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण-

लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर पालिका परिषद जालौन, द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

9- लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क-

नए निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद जालौन, द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जायेगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10- पंजीकरण के शुल्क और वैधता-

i- ऑपरेटर के रूप में नये निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु0 2,000/-

ii- पंजीकरण की वैधता पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 02 वर्षों तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

iii- लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रु0 1,000/-

11- लाइसेंसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन-

नगर पालिका परिषद जालौन, द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइसेंसधारी ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

12- जागरूकता अभियान-

इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद जालौन, द्वारा लोगों को केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाये जायेगा।

अध्याय-V

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

13- संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जायेगा-

i- भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर पालिका परिषद जालौन, के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।

ii- मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा।

14- फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क-

i- समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

ii- शहर में जब कभी नगर पालिका परिषद जालौन, द्वारा "शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जायेगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पालिका परिषद जालौन, द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

iii- लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

iv- फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

15- फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन-

i- फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद जालौन, के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जायेगा।

ii- आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 02 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिये।

iii- डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद जालौन, द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जायेगा।

iv- ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पालिका परिषद जालौन, वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जायेगा।

v- वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

vi- फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जाएगा और इसका एक्सेस अधिकार अधिशासी अधिकारी को होगा और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16- ढुलाई के दौरान सावधानी-

लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17— दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय—

फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

18— दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी—

किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान लाइसेंसधारी आपरेटर को ही करना होगा।

19— नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय—

हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20— फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण—

i— लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर पालिका परिषद जालौन, द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

ii— लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा।

iii— होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

21— निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार—

i— निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जायेगा।

ii— नगर पालिका परिषद जालौन, होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किए गये वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

iii— नगर पालिका परिषद जालौन, वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा।

iv— संग्रहीत किए जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर पालिका परिषद जालौन, द्वारा किया जायेगा।

v— होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।

vi- एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि "होस्ट यूएलबी" को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22- निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य-

i- निकाय या ग्राम पंचायत जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है वह नगर पालिका परिषद जालौन होस्ट यूएलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यूएलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।

ii- निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

iii- यदि निकाय होस्ट यूएलबी के क्लस्टर यूएलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।

iv- नगर पालिका परिषद जालौन, विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

v- होस्ट यूएलबी संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।

vi- यदि "होस्ट यूएलबी" की क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो नगर पालिका परिषद जालौन, को एक नए "होस्ट यूएलबी" की खोज करनी चाहिए या नए "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिये।

23- कर्मियों का प्रशिक्षण-

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

24- कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच-

यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिये और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जाना चाहिये, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

25- बीमा-

लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गये कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिये जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जायेगा।

26- जुर्माना/अर्थदण्ड/लाइसेंस रद्द किया जाना-

इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंसधारी ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होंगे

जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो एवं डिस्लज आपरेटर द्वारा ओएसएस से एकत्र किये गये स्लज पालिका द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने की बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों/जलाशयों (पोखर, तालाब, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गद्दहो) आदि पर किये जाने की स्थिति में लाइसेंस को रद्द करना और कार्यबल या निर्दिष्ट अधिकारियों को सिफारिश के अनुसार परफार्मेंस गारण्टी को जब्त करना शामिल होगा।

अध्याय-VI

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

27— फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण—

नगर पालिका परिषद जालौन, जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

28— औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है—

अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अध्याय-VII

प्रशासन और प्रवर्तन

29— प्रशासन और प्रवर्तन—

i— इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, अथवा नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।

ii— नगर पालिका परिषद जालौन, फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।

iii— नगर पालिका परिषद जालौन, शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

iv— नगर पालिका परिषद जालौन, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमर्जन्सी रिसपॉस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

30— जांच के लिए विशेष शक्ति—

इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पालिका परिषद जालौन, के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

31— नियम उल्लंघन और जुर्माना—

i— इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जायेगा।

ii— किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति— (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य

अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है। (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

iii— इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जायेगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जायेगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्थिति में एफएसएस निकासी/ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।

iv— जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दंड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर नगर पालिका परिषद जालौन, द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।

v— संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दंडनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

32— अपील—

निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है।

33— विवाद समाधान उपविधि—

इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर (नगर पालिका परिषद जालौन) के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जायेगा।

34— फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन—

मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

35— डीस्लजर के लिए सम्मान/पुरस्कार—

अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी (डीस्लजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

36— उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश—

इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 (भाग 1) 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदंड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खंड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाइलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ता की संख्या	लंबाई	चौड़ाई	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल)
1	2	3	4
	मीटर	मीटर	मीटर
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1— सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बीआईएस 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2— फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्रोत— सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल-भाग ए: इंजीनियरिंग। सीपीएचईओ, 2012

परिशिष्ट-2

नगर पालिका परिषद जालौन में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की सूची (अनुमानित)

क्र० सं०	श्रेणी	शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप)
1	2	3
		रुपये—
1.	आवासीय भवन	2,500.00
2.	व्यवसायिक भवन/संस्थान/उद्योग	2,500.00

नोट— उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

परिशिष्ट-4

फॉर्म 1— नगर पालिका परिषद जालौन में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन-पत्र।

नियम और शर्तें—

1— फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।

2— निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3— फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।

4— लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5— फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6— अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7— फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

8— वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में सावधानी के साथ 'septic tank waste' (अंग्रेजी में) और 'मलकुंड अपशिष्ट' (हिंदी में) लिखा होगा।

9— प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

10— उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा। लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जायेगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-7

होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

फॉर्म 4— "होस्ट यूएलबी" पर उपलब्ध "उपचार संयंत्र" में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (नगर पालिका परिषद जालौन) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, निकाय (संपर्क करने वाले निकाय का नाम) जो नगर पालिका परिषद जालौन की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, "होस्ट यूएलबी" (नगर पालिका परिषद जालौन) के प्रशासन के तहत "उपचार संयंत्र" पर, समझौता।

प्रथम पक्ष "होस्ट यूएलबी" (नगर पालिका परिषद जालौन)

द्वितीय पक्ष "..... यूएलबी" (संपर्क करने वाले निकाय का नाम)

उपबंध—

1— यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक "द्वितीय पक्ष" की प्रशासनिक सीमाओं से उनके "उपचार संयंत्र" पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा।/वर्ष (अंतिम तिथि)

2— "प्रथम पक्ष" अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने "उपचार संयंत्र" पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3— यह कि “द्वितीय पक्ष” समझ के अनुसार “प्रथम पक्ष” को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु० 2,000/- प्रति 15 कि०मी० की परिधि के अन्दर (15 कि०मी० से अधिक दूरी होने पर रु० 25/- प्रति कि०मी० अतिरिक्त देय होगा।) देने के लिए सहमत होगा।

4— यह कि “प्रथम पक्ष” उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रखरखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5— यह कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।

6— यह कि “द्वितीय पक्ष” केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7— प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर “द्वितीय पक्ष” की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

परिशिष्ट-8

जुर्माना और फाइन

क्रम सं०	विवरण	खंड संख्या	सांकेतिक फाइन सीमा	जुर्माना (रुपये या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1	2	3	4	5
			रुपये	
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजाइन और निर्माण	5	100	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर-अनुपालन	16, 17	1,000	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16, 17	1,000	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16, 17	300 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित एफएसएस प्रवाहित करना	27, 28,	5,000	

1	2	3	4	5
			रुपये	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27, 28, 33	5,000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27, 28, 33	1,000	संपत्ति की जब्ती
			प्रतिदिन	
6.1	निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6, 7, 14, 27, 28, 29	25,000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	50,000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	2,000	वाहन की जब्ती
			प्रतिदिन	

प्रोत्साहन

नगर पालिका परिषद जालौन के क्षेत्र में यदि कोई डी स्लजर/आपरेटर/भवन स्वामी द्वारा अपने फीकल स्लज को नगर सीमा में या नगर सीमा से 03 मील की दूरी पर खुले में डीस्लजिंग किया जा रहा है/डाला जा रहा है। जिसकी सूचना कोई नागरिक/संस्था/समूह द्वारा जी0पी0एस0 साक्ष्य के साथ नगर पालिका परिषद जालौन को दिया जाता है। जाँच में वह तथ्य सत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित डीस्लजिंग करने वाले आपरेटर/व्यक्ति के विरुद्ध रु0 25,000/- का जुर्माना लगाया जायेगा जिसमें से रु0 10,000/- की धनराशि सम्बन्धित सूचनादाता को प्रोत्साहन धनराशि इस घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दिया जायेगा।

दण्ड एवं शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद निश्चय करती है, नगर पालिका परिषद के आवासीय/अनावासीय भवनों से सम्बन्धित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) सफाई कर उपविधि, 2024 का उल्लंघन नगर पालिका अधिनियम की धारा 307 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। जिसमें रु0 1,000/- (रुपया एक हजार) तक जुर्माना हो सकता है और निरन्तर बने रहने की दशा में अतिरिक्त अर्धदण्ड देय होगा। जो सर्वप्रथम दोषसिद्धि के दिनांक या अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिए, जिसके बारे में सिद्ध हो जायें कि जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 25/- (पच्चीस रुपये मात्र) प्रतिदिन अर्धदण्ड लिया जायेगा।

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
जालौन।

कार्यालय, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

6 अक्टूबर, 2025 ई0

सं0 1573/रा0वि0/न0नि0म0वृ0,मथुरा/2025-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-172 उपधारा-02 के खण्ड ज एवं धारा-541 के अन्तर्गत नाव लाइसेन्स उपविधि बनाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 सदन की बैठक दिनांक 13.09.2024 प्रस्ताव सं0-04 द्वारा उपविधि को सर्वसम्मति से स्वीकार्य किया गया है। मा0 सदन की स्वीकृति उपरान्त नवनिर्मित नाव लाइसेन्स उपविधि पर नियमानुसार आपत्तियां आमंत्रित किये जाने हेतु एक सार्वजनिक सूचना कार्यालय पत्र संख्या-1084/रा0वि0/न0नि0म0वृ0, मथुरा/2024 दिनांक 19.11.2024 को दैनिक समाचार-पत्र एवं अमर उजाला, हिन्दुस्तान प्रकाशित करायी गयी (प्रतियाँ संलग्न)। जिसमें आपत्तियाँ आमंत्रित किये जाने की अवधि 30 दिन नियत थी। किन्तु निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर नाव लाइसेन्स उपविधि को अंतिम स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष दिनांक 16.04.2025 को प्रस्तुत किया गया है। जिसे मा0 सदन की बैठक दिनांक 16.04.2025, प्रस्ताव सं0-04 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

उपर्युक्त के दृष्टिगत मा0 सदन बैठक दिनांक 16.04.2025 में पारित प्रस्ताव के अनुसार नवनिर्मित नाव लाइसेन्स उपविधि 2024 उत्तर प्रदेश, सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

नाव लाइसेन्स उपविधि, 2024

1. सुरक्षा की दृष्टि से संचालित नाव/मोटर वोट की सक्षम संस्था से परीक्षण होगा नाव का तकनीकी एवं भौतिक परीक्षण के बाद ही रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
2. सुरक्षा मानकों का परीक्षण सक्षम संस्था/अनुज्ञप्ति निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित सक्षम अधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण किया जायेगा। उपरोक्त परीक्षण प्रत्येक 06 माह में 01 बार अवश्य किया जाना चाहिए।
3. प्रत्येक नाव/मोटर वोट में स्पष्ट रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होनी चाहिए जिसमें यात्री धारक क्षमता मालिक का नाम श्रेणी आपातकालीन नम्बर, अन्तिम परीक्षण तिथि का उल्लेख हो।
4. नाव पर रेड लाईन लगाई जाये। सवारियों के बैठने के उपरान्त किसी भी दशा में रेड लाईन डूबनी नहीं चाहिए (रेडियम लाईन) होना अनिवार्य है।
5. कोहरे के समय अथवा बाढ़ में नाव/मोटर वोट संचालित नहीं करना होगा।
6. नाव/मोटर वोट संचालक किसी भी दशा में निर्धारित सवारी से अधिक नहीं बैठायेगा।
7. किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री नाव/मोटर वोट में प्रतिबन्धित होगी मोटर वोट में अग्नि शमन उपकरण भी लगा होना चाहिए मोटर वोट पोस्टर के माध्यम से आग से सुरक्षा के लिए प्रतिबन्धित वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
8. नाव/मोटर वोट संचालक अथवा नाव से यात्रा करने वाले कोई व्यक्ति मदिरा पान व नशील पदार्थों का सेवन नहीं करेगा।
9. प्रत्येक नाव/मोटर वोट में प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करनी होगी।
10. नाव/मोटर वोट संचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह स्वयं और सवारियों द्वारा नदी में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करेगा। कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था करेंगे।
11. प्रत्येक नाव/मोटर वोट जल स्तर के किनारे से 20 फीट की दूरी पर रखी जायेगी व नाव को इस प्रकार से रखना होगा ताकि स्नान करने वाले को कोई परेशानी न हो।
12. प्रत्येक नाविक के पास थाना व आपदा राहत से जुड़े विभागीय अधिकारियों का मोबाईल नम्बर रखना अनिवार्य होगा।

13. प्रत्येक नाव/मोटर वोट उसी घाट से सवारी लेगा एवं उतारेगा जिस घाट का लाइसेंस जारी किया जायेगा तथा सम्बन्धित घाट की सफाई भी रखेंगे।
14. प्रत्येक नाव/मोटर वोट पर दो चालक का होना अनिवार्य होगा। चालक की उम्र 18 से ऊपर 50 वर्ष के अन्दर होनी चाहिए।
15. एन0जी0टी0/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/जिला प्रशासन/पर्यटन विभाग द्वारा निर्देशित शर्तों का भी पालन करना होगा।
16. मोटर वोट में पथ प्रकाश व्यवस्था एवं ब्रेक का रहना आवश्यक है। प्रकाश व्यवस्था एवं ब्रेक के न रहने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।
17. यह कि किसी प्रकार के नाव/वोट (मोटर/मैनुअल) पर निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियों को नहीं बैठाया जायेगा।
18. यह कि नाव/वोट (मोटर/मैनुअल) पर बैठाये गये सवारियों एवं नाविकों द्वारा अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट का प्रयोग किया जायेगा।
19. नाविकों द्वारा अपने नाव/वोट पर क्षमता के अनुसार लाइफ जैकेट व अन्य आवश्यक जीवन सुरक्षा उपकरण रखे जायेंगे।
20. प्रत्येक नाव पर जितनी लाइफ जैकेट होगी उससे अधिक सवारियों उस नाव पर नहीं होगी।
21. अनुज्ञप्ति/लाइसेंस हेतु हाथ चलित वोट के लिए रू0 1,000/-वार्षिक, मोटर वोट के लिए रू0 5,000/-वार्षिक एवं स्टीमर के लिए रू0 10,000/-वार्षिक किया जाना प्रस्तावित है।
22. लाइसेन्स फीस की धनराशि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक 03 माह अर्थात् अप्रैल से जून के मध्य जमा कराकर लाइसेन्स प्राप्त करना होगा।
23. यदि नाव/मोटरवोट/स्टीमर संचालन के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिये संचालक जिम्मेदार होगा।
24. बिना लाइसेन्स प्राप्त किये नाव/मोटरवोट/स्टीमर को चलाने की अनुमति नहीं होगी।
25. नियत अवधि में लाइसेन्स प्राप्त न करने पर रू0 50/- प्रतिमाह विलम्ब शुल्क वसूल किया जायेगा।
26. यदि किसी नाविक के द्वारा बिना लाइसेन्स प्राप्त किये नाव/मोटरवोट/स्टीमर आदि का संचालन किया जाता है और बकाया की देयता अदा करने से इन्कार किया जाता है तो उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1959 की धारा-503 से 514 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये बकाया धनराशि वसूल की जायेगी।
27. यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

नगर आयुक्त,
नगर निगम मथुरा, वृन्दावन।

कार्यालय, नगर पंचायत निगोही, शाहजहाँपुर

नगर पंचायत निगोही की सीमा अन्तर्गत भवन एवं प्रोजेक्शन उपविधि, 2026

02 जनवरी, 2026 ई0

सं0 331/न0पं0नि0/2025-26-उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम सं0 2 सन 1916) की धारा-147 और धारा-298 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत निगोही की बोर्ड बैठक दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 को प्रस्ताव सं0-1 के द्वारा अनुमोदन उपरांत, नगर पंचायत निगोही जनपद-शाहजहाँपुर ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) के शीर्षक (ए)(बी)(सी) तथा जे0डी0 एवं धारा 212-क के

अधीन अधिकारों का प्रयोग करके अपनी सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है, उसका निम्नलिखित प्रारूप अधिनियम, 1916 की धारा-301 की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से दो दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 3 व 4 जनवरी, 2026 को प्रकाशित कराया गया था, आपत्तियों एवं सुझाव हेतु 30 दिवस का समय निश्चित किया गया है। निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। उक्त उपविधि सरकारी गजट उत्तर प्रदेश में प्रख्यापित किये जाने की दिनांक से प्रवृत्त होगी—

अनुसूची

क्र० सं०	स्वीकृति योग्य मदें	दरें
1	2	3
		रुपये—
1.	मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र का शुल्क	100.00
2.	आवासीय भवन/कॉलोनी प्लान निर्माण/पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन के लिए दर	50.00 प्रति वर्ग मीटर
3.	व्यवसायिक एवं आवासीय तथा केवल व्यवसायिक/वाणिज्यिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवन/कॉलोनी प्लान के निर्माण/पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन के लिये दर	100.00 प्रति वर्ग मीटर
4.	बहुमंजिल आवासीय बिल्डिंग काम्पलेक्स	200.00 प्रति वर्ग मीटर
5.	बहुमंजिल व्यवसायिक बिल्डिंग काम्पलेक्स	300.00 प्रति वर्ग मीटर
6.	खिड़की, दरवाजे, नाली आदि के निर्माण के लिए	500.00 प्रति वर्ग मी०
7.	अवधि बढ़ाये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र का शुल्क	100.00 प्रति वर्ग मी०
8.	छज्जा, बालकनी, चबूतरा के लिए शुल्क	200.00 प्रति वर्ग मीटर
9.	निर्माण सामग्री सार्वजनिक सड़क के किनारे रखने हेतु शुल्क (प्रति 50 वर्ग फिट प्रथम 2 दिन निःशुल्क)	अतिरिक्त प्रति 10 दिन 1000.00
10.	सड़क व नालियों में भवन का जमा मलवा नगर पालिका के कर्मियों द्वारा हटाने का शुल्क	2000.00 एकमुश्त
11.	मात्र दीवार निर्मित कराने हेतु शुल्क	25.00 प्रतिवर्ग मीटर

नोट— (1) प्रत्येक मंजिल का शुल्क अलग-अलग लिया जायेगा।

(2) दरों में प्रति 05 वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी जो वित्तीय वर्ष के प्रथम अप्रैल से लागू होगी।

(3) भूमिगत तल (बेसमेण्ट) की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में प्रस्तावित भवन के आस-पास के भवनों एवं सार्वजनिक सड़क/नाली की स्थिति को ध्यान में रखकर उपरोक्त भवन श्रेणियों की दरों के 2 गुना दर पर ही दी जा सकेगी।

अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत निगोही,
शाहजहाँपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम किंजल राय (Kinjal Rai) पुत्री सुदीप कुमार राय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-7346 5813 8006 में मेरी पुत्री का नाम अदिति राय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम किंजल राय (Kinjal Rai) पुत्री सुदीप कुमार राय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुदीप कुमार राय पुत्र रमाशंकर राय,
निवासी- ग्राम व पो0 कनायीचा,
गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम पिंजल राय (Pinjal Rai) पुत्री सुधीर राय है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-9109 6933 5974 में मेरी पुत्री का नाम नियति राय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम पिंजल राय (Pinjal Rai) पुत्री सुधीर राय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुधीर राय,
निवासी- ग्राम व पो0 कनायीचा,
गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या राय पुत्री अशोक कुमार राय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-5952 6155 4280 में उसका नाम शिक्षा राय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को सही नाम आराध्या राय पुत्री आशोक कुमार राय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अशोक कुमार राय,
निवासी- ग्राम व पोस्ट भभौरा,
चकिया, चन्दौली उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सिद्धि बरनवाल है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-6049 5591 5069 में उसका नाम झिलमिल बरनवाल अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सिद्धि बरनवाल पुत्री कौशल बरनवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कौशल कुमार बरनवाल,
पुत्र रमेश चन्द्र बरनवाल,
7, राजीव नगर, सैदपुर गाजीपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु0 प्रेमलता (KM.PREMLATA) पुत्री खुशी राम (KHUSHI RAM) है, जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6058 4986 3535 में मेरा नाम मिस्त्री प्रेमलता श्याम सुन्दर भाई (MISTRI PREMLATA SYAM SUNDARBHAI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु0 प्रेमलता (KM.PREMLATA) पुत्री खुशी राम (KHUSHI RAM) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कु0 प्रेमलता पुत्री खुशी राम,
निवासी- 36 बीबीपुर पोस्ट-बेलापर्स, तहसील-टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर,
उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम अव्यान गौतम (AVYAAN GAUTAM) पुत्र पुष्पेन्द्र कुमार गौतम है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपने पुत्र का नाम अव्यान गौतम (AVYAAN GAUTAM) से बदल कर अव्यान राज गौतम (AVYAAN RAJ GAUTAM) रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को अव्यान राज गौतम (AVYAAN RAJ GAUTAM) पुत्र पुष्पेन्द्र कुमार गौतम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पुष्पेन्द्र कुमार गौतम, पुत्र स्व० सीताराम,
पता— बी०एस० 268 बरसाना सेक्टर,
पी०डी०ए० कोलोनी कालिन्दीपुरम्,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम हर्ष पाण्डेय (HARSH PANDEY) पुत्र मनोज कुमार पाण्डेय है जो कि उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—7476 6843 7101 में उसका नाम हर्षवर्धन पाण्डेय (HARSH VARDHAN PANDEY) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम हर्ष पाण्डेय (HARSH PANDEY) पुत्र मनोज कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मनोज कुमार पाण्डेय,
पता— करौना, सरौनी,
वाराणसी उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रिद्धी सिंह (Riddhi Singh) पुत्री

अमित कुमार सिंह (Amit kumar Singh) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—7672 4509 1631 में उसका नाम विजेता सिंह (Vijeta Singh) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रिद्धी सिंह (Riddhi Singh) पुत्री अमित कुमार सिंह (Amit kumar Singh) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अमित कुमार, पुत्र ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंह,
निवासी—104, कन्धईपुर वाजिदपुर,
लाइन बाजार, हुसैनाबाद, जिला जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम हिमांक अग्रवाल (Himank Agrawal) पुत्र दीपक अग्रवाल, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—7436 7689 3024 में उसका नाम कान्हा अग्रवाल (Kanha Agrawal) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम हिमांक अग्रवाल (Himank Agrawal) पुत्र दीपक अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

दीपक अग्रवाल,
निवासी—234 K, बुन्देलखण्डी, पोस्ट-धुन्धी कटरा,
महुअरिया, मिर्जापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम संदीप सिंह (Sandeep Singh) पुत्र रणजीत सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—6107 1166 2440 में मेरा नाम अवनीश सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम संदीप सिंह (Sandeep Singh) पुत्र रणजीत सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

संदीप सिंह पुत्र रणजीत सिंह,
निवासी— ग्राम भगवानपुर,
पोस्ट कन्हईपुर सुलतानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम इन्द्रेण यादव पुत्र मुरारी लाल है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—4064 0620 7238 में उसका नाम सचिन यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम इन्द्रेण यादव पुत्र मुरारी लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मुरारी लाल पुत्र राम प्रताप यादव,
निवासी— चक चुरावन हेतापुर,
पोस्ट हेतापुर जिला प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम छोटकी पत्नी लालमनि है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर्ड, खतौनी तथा उपजिलाधिकारी की जाँच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—5314 4131 3063 में मेरा नाम छटंकी उर्फ इन्द्रवती अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मुझे मेरे सही नाम छोटकी पत्नी लालमनी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

छोटकी पत्नी लालमनि,
निवासी— ग्रा0 चितावनपुर,
पोस्ट राजापुर मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम जान्हवी जायसवाल (Janhvi Jaiswal) पुत्री दीपक जायसवाल है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0— 3694 2054 7385 में उसका नाम जन्मा जायसवाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम जान्हवी जायसवाल पुत्री दीपक जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दीपक जायसवाल पुत्र लाल बाबू
निवासी—1, सराय खुल्दाबाद सब्जी मंडी,
सदर प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अराध्या पुत्री राजीव कुमार पटेल है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0— 4320 4252 8472 में उसका नाम Baby One हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अराध्या पुत्री राजीव कुमार पटेल के नाम से जाना पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकाये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजीव कुमार पटेल पुत्र राजनाथ,
पता—रखौना, राजातालाब,
जिला—वाराणसी उ0प्र0

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम लक्ष्य यादव (Lakshya Yadav) पुत्र मुकेश कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—7863 5499 5900 में उसका नाम कार्तिक यादव अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम लक्ष्य यादव (Lakshya Yadav) पुत्र मुकेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मुकेश कुमार पुत्र बैजनाथ कुमार,
निवासी— एच न. 203 भेलू नौबस्ता कला,
इंडस्ट्रिया एरिया चिनहट लखनऊ यू0पी0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम किसना रघुवंशी है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 9094 5893 2989 में उसका नाम किशन अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम किसना रघुवंशी पुत्र ज्ञान प्रकाश सिंह के नाम से जाना वा पहचाना जाय।

ज्ञान प्रकाश सिंह,
निवासी—प्लॉट नंबर 50 खसरा नंबर 188,
अतरौली कुर्सी रोड मायापुरी कॉलोनी,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कार्तिक मिश्रा (Kartik Mishra) पुत्र करुणेश मिश्रा है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड स0— 8285 1958 3510 में उसका नाम कुशल मिश्रा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कार्तिक मिश्रा (Kartik Mishra) पुत्र करुणेश मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

करुणेश मिश्रा पुत्र हृदय नारायण मिश्रा,
निवासी— सिसई सिपाह नसरतपुर,
तहसील सोरांव प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनन्या सिंह पुत्री अरविन्द कुमार है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में अंकित है। मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपनी पुत्री का नाम अनन्या सिंह से बदलकर अनिशका सिंह (Anishka Singh) रख लिया है भविष्य में मेरी पुत्री को अनिशका सिंह पुत्री अरविन्द कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अरविन्द कुमार पुत्र पलकधारी
निवासी—797 गोल्फ कॉलोनी रेलवे कालोनी,
जी.एम. रेजिडेंस गोरखपुर, उ0प्र0
वर्तमान पता—सी—05 एच0ए0एल0 टाउनशिप
फैजाबाद नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सुप्रीत सोनी (Supreet Soni) पुत्र आशुतोष सोनी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—2109 1778 3561 में उसका नाम Shri Ram Soni अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सुप्रीत सोनी (Supreet Soni) पुत्र आशुतोष सोनी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आशुतोष सोनी पुत्र विश्वंभर नाथ सोनी,
निवासी— मऊ पोस्ट मऊ तहसील,
मऊ जनपद चित्रकूट यू0पी0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ANANDA KUMAR SHUKLA S/o SHYAM SUNDAR SHUKLA है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड

सं०— 9337 9658 8921 में मेरा नाम ANAND KUMAR SHUKLA अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे, मेरे सही नाम ANANDA KUMAR SHUKLA S/o SHYAM SUNDAR SHUKLA के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

ANANDA KUMAR SHUKLA
रैदानी कालोनी, रामबाग, महुअरियां,
मीरजापुर (उ०प्र०)।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंशिका देवी पुत्री स्व० राजेश है जो मेरे आधार कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश एल.आई. सी. पॉलिसी सं० 238346568 में मेरा नाम “रचना वर्मा” अंकित हो गया है। जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंशिका देवी पुत्री स्व० राजेश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अंशिका देवी पुत्री स्व० राजेश,
निवासिनी— बसंत खेडा पो० पूरनपुर,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अश्वनी सिंह पुत्री अवधेश सिंह है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं विद्यालय प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं० 3873 5799 1412 में उसका नाम प्रियांशी सिंह अंकित हो गया है। जोकि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अश्वनी सिंह पुत्री अवधेश सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अवधेश सिंह पुत्र लाल सिंह,
निवासी— नसडा, नसारा कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अकाजू यादव पुत्री कैलाश यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०— 3500 7163 5501 में उसका नाम अंकिता यादव हो गया, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अकाजू यादव पुत्री कैलाश यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कैलाश यादव पुत्र शीतला प्रसाद यादव,
निवासी— ग्राम—सायर पोस्ट उगापुर,
थाना औराई जिला भदोही।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मंगलदीप कुमार पुत्र जयगुरुदेव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—2584 9639 0607 में उसका नाम मंगलदीप सक्सेना अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मंगलदीप कुमार पुत्र जयगुरुदेव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अनीता कुमारी पत्नी जयगुरुदेव,
निवासी—बेलसर जमीन बेलसर,
पोस्ट कोठिया, तहसील सगड़ी,
जिला आजमगढ़ उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरा सही नाम राज किशोर पुत्र लाला है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, खतौनी एवं उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है त्रुटिवश आधार कार्ड सं०— 8828 9415 7396 में मेरा नाम पप्पू अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राज किशोर पुत्र लाला के नाम से जाना पहचाना जाए।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित ही जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है

राज किशोर पुत्र लाला
निवासी— ग्राम तिरमा पाली भोगीपुर,
विकासखंड सरसौल कानपुर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम चांदनी साहू (Chandani Sahu) पुत्री छेदी लाल (CHHEDI LAL) है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 4235 4248 4257 में मेरा नाम चांदनी देवी (CHANDNI DEVI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम चांदनी साहू पुत्री छेदी लाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है

चांदनी साहू पुत्री छेदी लाल
नि०— ग्राम ढिंगवस पो० ढिंगवस,
तहसील लालगंज जनपद प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कौस्तुभ राज दीक्षित पुत्र सत्येन्द्र कुमार दीक्षित है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—6212 8999 0272

में उसका नाम वेदान्त दीक्षित अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही कौस्तुभ राज दीक्षित पुत्र सत्येन्द्र कुमार दीक्षित के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सत्येन्द्र कुमार दीक्षित,
पुत्र स्व० रवि शंकर दीक्षित,
निवासी—128/169/7, के ब्लॉक,
किदवई नगर, कानपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आयशा (Aisha) पुत्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०— 9211 1986 3691 में मेरी पुत्री का नाम श्री याशी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आयशा (Aisha) पुत्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

उमेश चन्द्र श्रीवास्तव,
पुत्र परशुराम लाल श्रीवास्तव,
नि० स्थाई पता ग्राम पियारेपुर,
पोस्ट गायघाट कल्याणपुर कलवारी बस्ती उ०प्र०।
अस्थाई पता बशीरगंज बहराइच।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पावनी मेलवानी पुत्री हरीश मेलवानी (Pavani Melwani D/o Harish Melwani) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०— 2156 6957 4613 में मेरा नाम परी मेलवानी (Pari Melwani) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पावनी मेलवानी पुत्री हरीश मेलवानी के नाम से जाना पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूरी की गई हैं।

पावनी मेलवानी पुत्री हरीश मेलवानी,
नि0-106/278 गांधी नगर, आर. के. नगर,
कानपुर नगर उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम सबा बेगम है जो उनके आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक 5150564/2019) में मेरी माता का नाम सबा फातिमा अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

हबीबा फातिमा पुत्री मिर्जा अब्दुल बारी बेग
माता-श्रीमती सबा बेगम
निवासिनी-मोहल्ला मुगलान,
काकोरी, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन यादव (Aryan yadav) पुत्र संजय कुमार यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0- 3549 5661 0036 में उसका नाम लकी यादव (Laki yadav) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आर्यन यादव (Aryan yadav) पुत्र संजय कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संजय कुमार यादव
सादापुर, गोनौली सिंगरामऊ,
जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम संस्कृति सिंह पुत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 2018 0236 2275 में उसका नाम निष्ठा अंकित हो गया है। जो कि गलत है भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम संस्कृति सिंह पुत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राघवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह
निवासी- हिलौली पोस्ट छिवलहा
तहसील लालगंज, रायबरेली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रांजल केसरवानी पुत्री मनोज कुमार है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 2442, 6274, 8754 में उसका नाम मीठी केशरवानी अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रांजल केसरवानी पुत्री मनोज कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पूनम
दुर्गागंज बाजार, प्रतापगढ़।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम निलाक्षी द्विवेदी (NILAKSHI DWIVEDI) पुत्री प्रेम शंकर है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-6335 7037 3833 में उसका नाम कु0 निलाक्षी (KM NILAKSHI) अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम निलाक्षी द्विवेदी (NILAKSHI DWIVEDI) पुत्री प्रेम शंकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रेमशंकर,
गांव गाढ़ा पो० गाढ़ा,
कोरांव जिला प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अंशिका सरोज पुत्री मुकेश कुमार सरोज है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड संख्या 6317 8152 8338 में उसका नाम आशिका सरोज अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अंशिका सरोज पुत्री मुकेश कुमार सरोज के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मुकेश कुमार सरोज पुत्र फूल चंद,
ग्राम बरियारी, पोस्ट, मलावान,
खुर्द झूसी, प्रयागराज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मेसर्स सरोज इंडेन गैस सर्विस पता-विक्रमजोत जिला बस्ती-272129 पंजीकरण संख्या- BAS/005302 है। अखिलेश सिंह पुत्र श्री राज बहादुर सिंह निवासी- 603, तीरथ विकास अपार्टमेंट, सेक्टर-2, विकास नगर, लखनऊ एवं अखिलेश कुमार सिंह पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह निवासी-4/990 विकास नगर लखनऊ में साझीदार थे। उक्त फर्म को साझेदारों की पारस्परिक सहमति से दिनांक 31 मार्च, 2026 से विघटित कर दिया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अखिलेश सिंह
पता-सरोज इण्डेन गैस सर्विस,
विक्रमजोत, जिला-बस्ती।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम बेबी शाइन्दा (BABY SHAINDA D/O MOHD SHAMIM W/O SARFRAJ AHMED) है जो कि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में मेरी पत्नी का नाम कहीं पर SHAINDA, BABY SHAINDA, KUMARI SMT SHAINDA अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सरफराज अहमद (SARFRAJ AHMED)
S/o इबने अहमद (IBNE AHMED),
B-1071/4 करेली जी.टी.बी.,
नगर प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जशोधरा देवी (JASHODHARA DEVI) पत्नी दयाराम है जो की मेरे निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर, गैस कनेक्शन, विद्युत बिल, पति के सेवा सम्बन्धी अभिलेख (पी.पी.ओ.) और उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित हैं। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-2507 1433 7945 मेरा नाम जशोदा (YASHODA) पत्नी दयाराम अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जशोधरा देवी पत्नी दयाराम के नाम से जाना पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित दिया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

जशोधरा देवी पत्नी दयाराम
निवासिनी -273 ए भटपुरा नंदीग्राम,
भरतकुंड पोस्ट- नैपुरा, थाना-पूरा कलंदर,
तहसील-सोहावल, जनपद अयोध्या, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रतिज्ञा गुप्ता (PRATIGYA GUPTA)

पुत्री बचऊ लाल गुप्ता है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 3585 1980 4065 में उसका नाम परी (PARI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रतिज्ञा गुप्ता (PRATIGYA GUPTA) पुत्री बचऊ लाल गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

बचऊ लाल गुप्ता पुत्र स्व० बंशी लाल
पता— रिदूआ मण्डवा बाजार, हंडिया,
प्रयागराज उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लक्ष्मी (Lakshmi) पुत्री सुरेश (Suresh) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 9883 0044 1847 में मेरा नाम लक्ष्मी (Laxmi) अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मुझे सही नाम लक्ष्मी (Lakshmi) पुत्री सुरेश (Suresh) के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

लक्ष्मी पुत्री सुरेश,
निवासी— ग्राम टिकरी कलां पोस्ट बारा,
बारा इलाहाबाद जसरा उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अक्षय कुमार (Akshay Kumar) पुत्र छेदी लाल है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—6912 2125 7482 में मेरा नाम अक्षत कुमार अंकित हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अक्षय कुमार (Akshay Kumar) पुत्र छेदी लाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अक्षय कुमार पुत्र छेदी लाल,
नि०बेहटा धन्नीपुर उन्नाव यू०पी०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम आरव मिश्रा पुत्र राहुल मिश्रा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड (3869 0863 6016) में अंकित है। मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपने पुत्र का नाम आरव मिश्रा से बदलकर यशोवर्धन मिश्रा रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को यशोवर्धन मिश्रा पुत्र राहुल मिश्रा के नाम से जाना पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं द्वारा पूर्ण की गई है

राहुल मिश्रा पुत्र शंकर मिश्रा,
निवासी—बिरमाउआ नकहरा, मिरजापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० सिमरन मोदनवाल पुत्री केशव मोदनवाल है, जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में भी अंकित है। मेरे आधार कार्ड संख्या—9915 2356 8797 में त्रुटिवश मेरा नाम गुडिया मोदनवाल अंकित हो गया है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० सिमरन मोदनवाल पुत्री केशव मोदनवाल पत्नी रंजित मोदनवाल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कु० सिमरन मोदनवाल,
पत्नी रंजित मोदनवाल,
ग्राम व पोस्ट उरुवा बाजार,
जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० पूजा कुमारी (Km. Pooja Kumari) पुत्री अर्जुन लाल है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०— 4941 2213 5710 में मेरा नाम पूजा कुमारी सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० पूजा कुमारी (Km. Pooja Kumari) पुत्री अर्जुन लाल पत्नी सत्येन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकाये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कु० पूजा कुमारी पुत्री अर्जुन लाल,
पत्नी सत्येन्द्र सिंह,
नि०— जे.आर. एम लॉन अयोध्या पुरी,
भूहर काकोरी, लखनऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आन्जनेय इन्टरप्राइजेज पता केयर आफ अनुज कुमार शर्मा वार्ड नं० 14 पोस्ट ऑफिस रोड मोहल्ला बुद्ध बाजार बिसौली बदायूं जिसकी पंजीकरण सं०— BUD/0009338 मे दिनांक 10 मार्च, 2026 को अन्य साझेदारों की सहमति व स्वेच्छा से सुगंधी शर्मा पत्नी श्री अवनीश कुमार शर्मा को नया साझेदार बनाया गया व दिनांक 10 मार्च, 2026 को साझेदार श्री मुनीश चन्द्र शर्मा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शर्मा स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्ति के पश्चात श्री मुनीश चन्द्र शर्मा का फर्म पर व फर्म का श्री मुनीश चन्द्र शर्मा पर कोई शेष वकाया नहीं है वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल चार साझेदार कमशः 1— विनय कुमार 2 प्रशान्त शर्मा 3—रचना शर्मा 4— सुगंधी शर्मा है।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकाये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनय कुमार,
साझेदार,
फर्म मेसर्स आन्जनेय इन्टरप्राइजेज,
पता— केयर आफ अनुज कुमार शर्मा,
वार्ड नं० 14, पोस्ट ऑफिस रोड,
मोहल्ला बुद्ध बाजार बिसौली बदायूं।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स मुरादाबाद ट्रान्सपोर्ट एजेंन्सी, अपो० माल गोदाम रामपुर रोड मुरादाबाद जिसकी पंजीकरण संख्या एमओआर/0003613 तथा पंजीकरण तिथि दिनांक 31 मई, 2019 है मे दिनांक 13 अप्रैल, 2026 को निष्पादित संशोधित पॉर्टनरशिप डीड से श्री आकाश ओहरी पुत्र श्री रवेन्द्र पाल ओहरी निवासी मौहल्ला सुभाष रोड, रानी राम कली का बाग, चन्दौसी जिला सम्मल को शामिल किया गया हैं तथा अब फर्म में कुल 3 पॉर्टनर है जिनके हिस्से इस प्रकार है पार्टनर 1. श्री बरुण कुमार कोहली 45% 2. श्री चंचल कोहली 45% तथा 3. श्री आकाश ओहरी 10%

श्री बरुण कुमार कोहली,
पार्टनर,
मेसर्स मुरादाबाद ट्रान्सपोर्ट एजेंन्सी,
अपो० माल गोदाम रामपुर रोड मुरादाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स “पुष्पेन्द्र मेटल इंडस्ट्रीज”, नियर फिनेस्को इण्टरनेशनल विलेज कोकरपुर मानपुर लदावली कांठ सब पोस्ट ऑफिस ग्राउण्ड खाता संख्या 27/28, पीएमआई, एसएच 145, शाहपुर मुबारकपुर, कांठ, मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को फर्म का पूर्व नाम: पुष्पेन्द्र मेटल इंडस्ट्रीज से परिवर्तित करके नया नाम:— अनूप आर्टिकल्स किया गया हैं।

पुष्पेन्द्र कुमार,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स “पुष्पेन्द्र मेटल इंडस्ट्रीज”,
नियर फिनेस्को इण्टरनेशनल विलेज, कोकरपुर
मानपुर लदावली कांठ सब पोस्ट ऑफिस,
ग्राउण्ड खाता संख्या 27/28, पीएमआई,
एसएच 145, शाहपुर मुबारकपुर,
कांठ, मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारीनामा दि० 24 नवम्बर, 2017, संशोधित साझेदारीनामा दि० 01 नवम्बर, 2018 के साझेदार—1—नूर

मौहम्मद व मौ० अनवर के द्वारा फर्म M/s Sky Green Waste Recycling Managment पता— प्लॉट न०-174, अल्लीपुर जिजमाना हापुड रोड, मेरठ-250002 का पंजीकरण संख्या— एमईई/0008947, दि० 25 मार्च, 2021 में कराया गया। फर्म की संशोधित साझीदारीनामा (RETIREMENT CUM ADMISSION DEED OF PARTNERSHIP) दिनांक-05.03.2026 के अनुसार साझीदार—मौ० अनवर सेवानिवृत्त हुये व नवीन साझीदार AADIL MALIK S/O AYYUB MALIK R/o H. No. 755/14, Ansar Block Kareem Nagar, Meerut City—250002 Uttar Pradesh फर्म साझेदारी में सम्मिलित हुये। फर्म में वर्तमान साझीदार 1—Noor Mohd 2— Aadil Malik है। फर्म का पंजीकृत पता परिवर्तित कर Plot No- 174, Allipur Jijmana Hapur Road Meerut, 250002 Uttar Pradesh. परिवर्तित कर खसरा नं० 18,19,20,21,22 ग्राम पिपलीखेड़ा, इण्डस्ट्रीयल एरिया, हापुड रोड, मेरठ उ०प्र०-250002 किया गया है व अन्य पता— Khasra No S1,S3,S4 Village Pipli Khera, Industrial Area, Pargana Sarava, Meerut UP 250002 विलोपित कर दिया गया है।

नूर मौहम्मद,
साझीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स अनमोल एग्रो इण्डस्ट्रीज पता— डाण्डी हमीर टाउन रिच्छा तहसील बहेड़ी, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश 243201 जिसकी पंजीकरण सं०— BAR/0015300 मे दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को अन्य साझेदारों की सहमति व स्वेच्छा से श्री रफीक अहमद पुत्र श्री अतीक अहमद व मोहम्मद सलमान पुत्र श्री अतीक अहमद को नया साझेदार बनाया गया व दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को साझेदार श्री शकील अहमद पुत्र श्री जलील अहमद व श्री तन्जीर अहमद पुत्र श्री शफीक अहमद व श्री तौफीक अहमद पुत्र श्री शफीक अहमद स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्ति के पश्चात उपरोक्त साझेदारों का फर्म पर व फर्म का उपरोक्त साझेदारों पर कोई शेष वकाया नहीं है, वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल चार साझेदार कमशः 1—अतीक अहमद 2— अकील अहमद 3— रफीक अहमद 4— मोहम्मद सलमान है।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अतीक अहमद,
साझेदार,
फर्म मेसर्स अनमोल एग्रो इण्डस्ट्रीज,
पता— डाण्डी हमीर टाउन रिच्छा,
तहसील बहेड़ी, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरा सही नाम अथर्व बाजपेयी पुत्र प्रभात कुमार बाजपेयी है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश एल.आई.सी पालिसी सं०— 233878885 में मेरा नाम कार्तिकेय बाजपेयी अंकित हो गया है, जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अथर्व बाजपेयी पुत्र प्रभात कुमार बाजपेयी के नाम से जाना पहचाना जाए

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित ही जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अथर्व बाजपेयी पुत्र प्रभात कुमार बाजपेयी,
निवासी —117/क्यू/67 एल. आई. सी. कालोनी,
शारदा नगर कानपुर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मुन्ना प्रणामी पुत्र श्रीराम चरन है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा उपजिलाधिकारी जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरी एल०आई०सी० पालिसी सं० 234459262 मे मेरा नाम राम किशोर राठौर अंकित हो गया है, जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मुन्ना प्रणामी पुत्र श्रीराम चरन के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध मे समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मुन्ना प्रणामी पुत्र श्रीराम चरन,
निवासी— भोगनीपुर कानपुर देहात।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शगुन सिंह (SHAGUN SINGH) पुत्री अनिल कुमार सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-3795 4370 0204 में उसका नाम सुगुन सिंह (SUGUN SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शगुन सिंह (SHAGUN SINGH) पुत्री अनिल कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अनिल कुमार सिंह पुत्र बंश बहादुर सिंह
निवासी सी-35 सूरजकुण्ड कालोनी,
वार्ड नं०-35 गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम कृषिका चौरसिया पुत्री किशन चौरसिया है, जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०- 7350 0531 6149 में उसका नाम अनवी चौरसिया अंकित है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम कृषिका चौरसिया पुत्री किशन चौरसिया के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रीति पत्नी किशन चौरसिया,
बी 37/153-1के- शिव शक्ति नगर,
वीरदीपुर, छितुपुर, वाराणसी उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दीपिका यादव (Deepika Yadav) पुत्री राम चरित्र है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं- 5072 4803 9910 में मेरा नाम दीपिका अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य

में मुझे मेरे सही नाम दीपिका यादव पुत्री राम चरित्र के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

दीपिका यादव पुत्री राम चरित्र
निवासी- ग्राम अरई पोस्ट अरई,
जनपद अम्बेडकर नगर उ० प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्लोका मौर्या (Shloka Maurya) पुत्री अवधेश कुमार मौर्या है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं-9043 6699 8854 में मेरी पुत्री का नाम आर्वी मौर्या अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्लोका मौर्या पुत्री अवधेश कुमार मौर्या के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अवधेश कुमार मौर्या पुत्र शिव नाथ मौर्या,
नि०- 213/104 शिव नगर कालोनी,
पहाड़गंज अयोध्या (फैजाबाद) उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य यादव (ADITYA YADAV) पुत्र कुशवेन्द्र सिंह (KUSHVENDRA SINGH) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाणपत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 4928 6084 8550 में उसका नाम आदित्य यादव (ADITYA YADAV) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदित्य यादव (ADITYA YADAV) पुत्र कुशवेन्द्र सिंह (KUSHVENDRA SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कुशवेन्द्र सिंह S/o राम कुमार,
गायत्री नगर पुखरायां देहात कानपुर देहात।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम फैज अली पुत्र रिजवान अली है, जो मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-7405 3726 3117 में मेरे पुत्र का नाम मोहम्मद फैजान अली अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम- फैज अली पुत्र रिजवान अली के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सालिया पत्नी रिजवान अली,
निवासिनी- ग्राम- छीते मऊ, पोच-महरोड़ा,
तहसील- सोरांव, जिला-प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० डी० पी० चौपड़ा, 191/16 माल रोड आगरा परिवर्तित पता- पार्ट 4.3 फ्लोर, सूरज कॉम्प्लैक्स सदर बाजार आगरा कैन्ट आगरा यू०पी०-282001 पर स्थिति जिसका पंजीयन न० एजी.-4994 है फर्म उपरोक्त में साझेदार डा० सुनील चौपड़ा पुत्र स्व० डी० पी० चौपड़ा निवासी- 191/16 माल रोड आगरा, श्रीमती वर्षा चौपड़ा पत्नी स्व० विनय चौपड़ा निवासी- 103 जय श्री प्लाजा बाइ रामजी टाउन नागपुर महाराष्ट्र, श्री दीपक चौपड़ा पुत्र स्व० विनय चौपड़ा निवासी-103 जय श्री प्लाजा बाइ रामजी टाउन नागपुर महाराष्ट्र, श्री कुनाल चौपड़ा पुत्र डा० सुनील चौपड़ा निवासी- 191/16 माल रोड आगरा साझेदारी के रूप में थे दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को डा० सुनील चौपड़ा पुत्र स्व० डी० पी० चौपड़ा निवासी-191/16 माल रोड आगरा फर्म से अपना हिसाब किताब ले कर अलग हो गये है। वर्तमान में श्रीमती वर्षा

चौपड़ा श्री दीपक चौपड़ा तथा श्री कुनाल चौपड़ा साझेदारी के रूप में है संशोधित डीड के अनुसार वर्तमान में अब तीन ही पार्टनर हिस्सेदार रहेंगे।

साझेदार,
श्रीमती वर्षा चौपड़ा,
मे० डी० पी० चौपड़ा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s CALCUTTA EXPRESS TRANSPORT SERVICE, (R.O.) Araj No. 484, Panki Bhav Singh Bypass Road, Kanpur की साझेदार हूँ। फर्म पंजीयन दिनांक 07 जुलाई, 2012 को पंजीकरण सं० K-10134 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 10 अप्रैल, 2012 के अनुसार फर्म में श्री बैजनाथ, श्री मोहिन्दर सिंह दुआ, श्री दीनबन्धु व श्री माधव नाथ भल्ला साझेदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 25 फरवरी, 2026 के अनुसार साझेदार मोहिन्दर सिंह दुआ बालिग पुत्र स्व० स० अमीर सिंह दुआ निवासी- 133/213, टी०पी० नगर, कानपुर स्वइच्छा से पृथक हो गये हैं। अब फर्म में श्री बैजनाथ, श्री दीनबन्धु व श्री माधव नाथ भल्ला साझेदार हैं।

बैजनाथ
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुनील कुमार (Sunil Kumar) पुत्र पातीराम वर्मा है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं- 9766 6800 2323 में मेरा नाम हरेन्द्र कुमार अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुनील कुमार पुत्र पातीराम वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुनील कुमार पुत्र पातीराम वर्मा,
नि० न्यू जाटवपुरी, असफाबाद, तहसील सदर,
फिरोजाबाद उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजकुमार पुत्र माम चन्द है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 5283 2061 9972 में मेरा नाम अमन कुमार अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजकुमार पुत्र माम चन्द के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजकुमार पुत्र माम चन्द
निवासी— टापा कलां, पोस्ट जलेसर रोड,
तहसील सदर फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।